खण्ड-398, अंक-2
सोमवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1912
(16 जुलाई, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 398 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-3
प्रश्नोत्तर——————(प्रश्न उत्तरित माने गये)	4-79
कतिपय सदस्यों को विधान भवन में प्रवेश करने से रोके जाने तथा विधान भवन गेट बन्द कर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	80
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना————(अस्वीकृत)	80-81
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव————(स्वीकृत)	81-83
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)-अनुदान संख्या-25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)————(स्वीकृत)	83-84
नत्थियां	85-96

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजकर 3 मिनट पर दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन, श्री	गोण्डा
अख्तर, श्री	गाजियाबाद
अनवार मोहम्मद खां, श्री	फर्रूखाबाद
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री	रामपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरूण प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	उन्नाव
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
ऐदल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	गाजीपुर
कप्तान सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
किशन गोपाल, श्री	आगरा
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री	बदायूं
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
खुर्शीद, श्री	गाजीपुर
गणेश दीक्षित, श्री	कानपुर
गनपति सिंह, श्री	महराजगंज
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चन्द्रभान मौर्य, श्री	आगरा
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
तीरथराज, श्री	सोनभद्र
दयाशंकर, श्री	वाराणसी

दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
देवता दीन, श्री	बहराइच
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	गढ़वाल
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फौजदार, श्री	मऊ
बरफिया लाल जुवांठा,	उत्तरकाशी
बृजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
भूपेन्द्र नाथ शर्मा, श्री	बरेली
भोलानाथ, श्री	बलिया
मंजूर, श्री	बरेली
मंत्री प्रसाद नैथानी,	टिहरी गढ़वाल
महाबीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	पिथौरागढ़
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
यशवंत, श्री	आजमगढ़
युवराज सिंह, श्री	हमीरपुर
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन	बुलन्दशहर
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री	इटावा
राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
रामऔतार मिश्र, श्री	शाहजहांपुर
रामकरन आर्य, श्री	बस्ती
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामतेज, श्री	बहराइच
राममूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
रामेश्वर दयाल वाल्मीकि,	मैनपुरी
रिछपाल सिंह बसंल, श्री	मेरठ
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
लक्ष्मी कान्त बाचपेयी, श्री	मेरठ

लटूरी सिंह, श्री	एटा
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
शर्मेन्द्र त्यागी, श्री	मुरादाबाद
शशि मित्तल, श्रीमती	मेरठ
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा प्रताप शुक्ल, श्री	लखनऊ
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव राज सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुबास, श्री	मऊ
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरफूल सिंह, श्री	सहारनपुर

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

प्रदेश में विद्युत उत्पादन व्यवस्था निजी क्षेत्रों को सौंपे जाने का मामला विचाराधीन

1-श्री राम लखन वर्मा, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में विद्युत उत्पादन व्यवस्था निजी क्षेत्रों को सौंपने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और इस पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन स्थापित करने के लिए 600 मेगावाट का एक प्रस्ताव मेसर्स हिन्डालिको से प्राप्त हुआ था, जो शासन के विचाराधीन है।

जनपद इलाहाबाद में हुये बम विस्फोटों की जाँच

××2—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-6-90 को इलाहाबाद में 12 बजे दिन से सायंकाल तक हुए बम विस्फोटों के कारणों की जांच सरकार द्वारा करायी गयी है? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य ज्ञात हुए और नागरिकों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार सिंवई मण्डी, थाना शाहगंज इलाहाबाद में लाटरी के टिकट के इनाम को लेकर एक विवाद की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति द्वारा तमन्चे से फायर किया गया जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 242/90 धारा-25 शस्त्र अधिनियम तथा मु0अ0सं0 243/90 धारा 147/148/323/308/504, भा.द.वि. पंजीकृत किये गये। इस घटना के लगभग आधे घण्टे के पश्चात् सिंवईमण्डी गली से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 2 बम एक दुकान पर फेंके गये। इस घटना के सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 243-ए/90 धारा 147/148/149/307/427 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। सायंकाल लगभग 6.10 बजे नखासकोना के पास एक बम फटने के धमाके की आवाज सुनायी दी। पुलिस ने मौके पर जाकर बम बनाने का उपकरण आदि बरामद किया तथा इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 244/90 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत राम कुमार केसरवानी एवं राजेश जायसवाल निवासी पत्थर गली थाना शाहगंज के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। इस बम विस्फोट के पश्चात् निकट के एक दो जगह बम विस्फोटों के धमाके सुनाई दिये किन्तु किसी के जान-माल का नुकसान होना नहीं पाया गया। समस्त पंजीकृत अभियोगों की विवेचना प्रचलित है। घटित घटनाओं के पश्चात् तत्काल घटना स्थलों पर सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था एवं कार्यवाही

टिप्पणी- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

की गयी। तत्परता, सर्तकता एवं कड़े प्रबन्ध के कारण तनाव पर तत्काल नियंत्रण कर लिया गया। स्थिति सामान्य एवं नियंत्रण में है। सामान्य जनता में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना परिलक्षित नहीं हुई है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में निर्माताओं को सस्ते मूल्य के कागज उपलब्ध न होने के कारण गरीब छात्रों के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं की अनुपलब्धिता

×1.—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं को गत एक वर्ष से सस्ते मूल्य के कागज सरकार द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रदेश में गरीब छात्रों को जुलाई, 90 से चालू सत्र के लिए सस्ते दामों पर अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो पायेगी? यदि हां, तो निर्माताओं को सस्ते दाम पर कागज उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं?

शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

आंशिक रूप से रियायती मूल्य के कागज की अभ्यास पुस्तिकाएं बाजार में उपलब्ध हैं।

पूरे प्रदेश में लागू जवाहर रोजगार योजना की रूपरेखा में परिवर्तन किया जाना

×2—श्री मुईद अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना लागू है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है? क्या उक्त योजना की पूर्व निर्धारित रूपरेखा में सरकार द्वारा कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या?

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

जी हां।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
ग्रामीण क्षेत्रों में (1) उपयोगी अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। (2) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन। (3) जीवन में गुणात्मक सुधार लाना।

योजना की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं:-

(1) अनुसूचित जाति/जनजातियों को रोजगार में प्राथमिकता।

(2) 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर महिलाओं के लिये आरक्षित।

(3) वार्षिक परिव्यय का लगभग 6 प्रतिशत संसाधन इंदिरा आवास योजना हेतु मात्राकृत किया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल परिव्यय की 20 प्रतिशत धनराशि 10 लाख कुओं की योजना हेतु मात्राकृत की गई है जिसके उपयोग के सम्बंध में भारत सरकार से विचारविमर्श हो रहा है।

उपरोक्त मात्राकृत धनराशि कम करने के उपरान्त अवशेष धनराशि का न्यूनतम 80 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित की जायेगी एवं अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर रोजगार योजनाओं के गत वर्षों में स्पिल ओवर कार्यों को पूरा करने तथा अन्तर्ग्राम/अन्तर्विकास खण्ड कार्यों हेतु रोकी जायेगी।

ग्रामीणों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन, स्वीकृति, कार्यान्वयन हेतु योजना का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से परियोजनायें तैयार करके ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में अनुमोदन कराकर उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सक्षम हैं।

जी हां।

उक्त योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं:-

(1) पूर्व में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य के अनुपात 20:60:20 के आधार पर ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित की जाती थी। नये फार्मूले में ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को 60 प्रतिशत और अन्य परिवारों को 40 प्रतिशत भार देते हुए आवंटन किया जायेगा।

(2) इस वर्ष भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये 10 लाख कुओं की योजना हेतु राज्य स्तर पर 20 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की है जिसकी उपयोग के विषय में भारत सरकार से विचार विमर्श चल रहा है।

(3) योजना को और रोजगार उन्मुख बनाने के दृष्टिकोण से पूर्व में निर्धारित 50:50 के अनुपात के स्थान पर मजदूरी एवं गैर मजदूरी घटक 60:40 का अनुपात निर्धारित किया गया है।

(4) अवर अभियंता के पूल द्वारा ग्राम पंचायतों के तकनीकी पर्यवेक्षण के अतिरिक्त विकास खण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारियों को भी अपने सैक्टर की ग्राम पंचायतों में तकनीकी पर्यवेक्षण करने एवं कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

(5) लेखा सम्प्रेक्षण (आडिट) को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से अब प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को रैन्डम सैम्पलिंग के आधार पर समवर्ती सम्प्रेक्षण किये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में नये विश्वविद्यालय खोलने की योजना

×3--श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आठवें योजनाकाल में प्रदेश में नये विश्वविद्यालयों को खोलने की योजना है? यदि हां, तो कितने? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की कमी तथा विद्यमान विश्वविद्यालयों के गुणात्मक सुधार पर बल के कारण।

(सोमवार दिनांक 16 जुलाई, 1990 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जनपद फैजाबाद में धनाभाव के कारण पंचायत घर का निर्माण कार्य पूर्ण न कराया जाना

×1.–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1985 में और उसके बाद तीन दर्जन से अधिक गांव सभाओं को पंचायत घर के निर्माण हेतु दस हजार रूपये की पहली किश्त दी जा चुकी है? क्या धन पाने के एक वर्ष के अन्दर सभी निर्माण कार्य पूरे कराये जाने थे? यदि हां, तो कार्य पूरा न होने के क्या कारण है और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने और सभी निर्माण कार्यों को एक निश्चित अवधि में पूरा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

वित्तीय वर्ष 1984–85 में जनपद फैजाबाद में केवल दस पंचायत घरों के निर्माण हेतु प्रत्येक गाँव सभा को शासकीय अनुदान स्वीकृत किया गया।

जी हाँ।

केवल एक पंचायत घर का निर्माण कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण हो गया शेष का कार्य अभी पूर्ण नहीं है। चूँकि स्वीकृत धनराशि के समतुल्य ग्राम सभाओं को अपने अंशदान के रूप में धनराशि व्यय की जानी थी। अतएव धनाभाव के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ। चूँकि गाँव सभाएँ स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और शासन का उनके ऊपर सीधा नियंत्राण नहीं है। अतएव कार्य में विलम्ब के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अवशेष कार्य को पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाना

×2—श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों के चुनाव कराने के प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक चुनाव करा लिए जायेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रदेश में रिक्त प्रधानों के पदों पर निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिनांक 19–5–90 को निर्गत कर दिये गये हैं।

×3—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद के लिए विशेषज्ञों की समिति

×4—श्री अमर नाथ यादव तथा श्री रविकान्त गर्ग—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद के लिए किन्हीं विशेषज्ञों की समिति बनायी गयी है, जो खरीदी जाने वाली पुस्तकों की संस्तुति करती है? यदि हां, तो समिति में गत तीन वर्षों में कौन-कौन सदस्य रहे हैं? यदि ऐसी समिति नहीं है, तो पुस्तकों के खरीदे जाने का निर्णय किस आधार पर किसके द्वारा किया जाता है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हाँ।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 85 पर)

शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारी को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना

×5—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) के कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारी राज्य कर्मचारी घोषित किये गये थे? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

×6—श्री यशवन्त —

(दि0 25-6-90 को ता0प्र0सं0 3 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश में चल रहे अरबी मदरसों की संख्या तथा उनमें कार्यरत अध्यापकों को बैंक द्वारा वेतन भुगतान कराये जाने की मांग

×7—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1990 के प्रथम सोमवार हेतु प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से कराया जाता है? यदि हां, तो मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों को बैंक के द्वारा भुगतान करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी हां।

मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

×8--श्री कुँवर सिंह नेगी--

(7वें सोम के लिये स्थगित)

×9--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(14 वें सोम में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित)

जनपद सुल्तानपुर में मुसाफिरखाना के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं का प्रवेश न लिया जाना

×10--डा0 सरजीत सिंह डंग--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में उसकी स्थापना के बाद से वर्तमान सत्र तक छात्राओं की उपलब्धता के बावजूद उनका प्रवेश कक्षा-11 (इण्टर कक्षाओं) में नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? कब से छात्राओं का इण्टर कक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी हाँ।

यह विद्यालय हाईस्कूल (कक्षा-6-10) तक ही संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी मण्डल के जनपदों में विद्यालयों की मान्यता पर रोक लगाने के संबंध में कार्यवाही

×11--श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल के गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया और सोनभद्र जिले से लगभग दो हजार से अधिक विद्यालयों की मान्यता के संबंध में समस्त शर्तों से पूर्ण आवेदन-पत्र वर्षों से शासन द्वारा लगायी गयी रोक के कारण लम्बित पड़े हुए है? यदि हां, तो इस रोक को लगाने के क्या कारण थे और सरकार इस रोक को हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

×12--श्री मिठाई लाल शास्त्री--

(दि0 12-7-90 को ता0प्र0सं0 13 द्वारा उत्तरित)

×13--श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

(दि0 18-6-90 को ता0प्र0सं0 17 द्वारा उत्तरित)

नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की धनराशि सीधे किसानों को न दिया जाना

×14--श्री राम लखन वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में मजदूरी के लिए निर्धारित धनराशि सीधे किसानों को भुगतान कराकर बोरिंग कराने की जिम्मेदारी संबंधित किसान को सौंपने में सरकार को क्या कठिनाई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो इस बारे में राजाज्ञा कब तक जारी कर दी जायेगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हाँ।

यह कार्यक्रम एक केन्द्र पोषित कार्यक्रम है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका के अनुसार धनराशि सीधे काश्तकार को नहीं दी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

×15--श्री देवेन्द्र कुमार यादव--

(दि0 18-6-90 को अता0प्र0सं0 89 द्वारा उत्तरित)

मुख्य अभियंता श्री धर्मवीर द्वारा लाखों रूपये का घोटाला करने के बावजूद प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति

×16--श्री अजय प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता मुरादाबाद श्री ओमदत्त सिंघल के शिकायती पत्र दिनांक 14-9-87 पर सचिव लोक नि0 वि0, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार चीफ टेक्निकल एक्जामिनर से करायी गयी जांच में लगभग 23 लाख रूपये का घोटाला प्रमाणित होने के बावजूद मुख्य अभियंता श्री धर्मवीर को प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गयी? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में? प्रमाणित घोटाले के आधार पर इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि तत्कालीन गृह मंत्री के आदेश दिनांक 26-8-89 के आधार पर आई0 जी0 पुलिस (एन्टी करेप्सन) द्वारा प्रमुख अभियन्ता श्री धर्मवीर के विरूद्ध जांच करने के संबंध में अगस्त, 1989 से अब तक सचिव सा0 नि0 वि0 से विभागीय अनुमति चाहने पर भी नही दी गयी? यदि हां, तो आई0 जी0 पुलिस (एन्टी करेप्सन) को जांच करने की अनुमति शासन द्वारा अब तक न दिये जाने के कारण क्या हैं?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

तत्कालीन मुख्य अभियंता (रा0मा0) एवं वर्तमान प्रमुख अभियंता

श्री धर्मवीर के विरूद्ध ओम दत्त सिंघल तत्कालीन अधिशासी अभियंता का पत्र दिनांक 14-9-87 का नहीं बल्कि 12-11-87 का है, जिस पर तथा कतिपय अन्य उसी प्रकार की शिकायतों पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से जांच कराई गई तथा अन्तर्ग्रस्त अधिकारी के स्पष्टीकरण पर भी विचार किया गया। कोई आरोप सिद्ध न होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया। इन्हीं आरोपों के सम्बन्ध में लोकायुक्त के समक्ष लम्बित परिवाद को लोकायुक्त द्वारा भी सम्बन्धित अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचार कर एवं प्राविधिक सम्परीक्षा पर विचार कर एवं प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की जांच आख्या देखते हुए समाप्त कर दिया गया। वर्णित परिस्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के प्रमुख अभियंता पर पदोन्नति में कोई अनियमितता नहीं है।

जी हां।

पुलिस महानिरीक्षक (भ्र0 नि0 सं0) ने पत्र दिनांक 26-8-89 में आवश्यक होने पर जांच की अनुमति मांगी थी किन्तु चूंकि पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच पहले ही प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से कराई जा चुकी थी और चूंकि उन्हीं आरोपों से संबंधित एक परिवाद माननीय लोक आयुक्त के समक्ष भी दायर किया गया था, जिसको अन्वेषण के उपरांत मा0 लोक आयुक्त द्वारा समाप्त कर दिया गया और शासन द्वारा भी इन आरोपों को निराधार पाकर निक्षेप करने का निर्णय लिया गया, अतः अब पुनः उन्हीं आरोपों के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन से एक और समानान्तर जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

×17—श्री कल्यान सिंह—

(दि0 25-6-90 को ता0प्र0सं0 3 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग

×18—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर भर्ती हेतु कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

तदर्थ रूप से कार्यरत अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने से संबंधित नीति विषायक प्रश्न शासन के विचाराधीन होने के कारण।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

×19—श्री दशरथ सिंह—

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद हरदोई के ग्रामों के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का कथित दुरूपयोग किया जाना

×20—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-12-89 को डी0 डी0 ओ0 हरदोई से शिकायत की है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये गये रूपये का ग्राम हरदोई देहात सिकन्दरपुर, कसियापुर, सुरसा, मनुआ आदि के प्रधानों ने दुरूपयोग किया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम सभाओं को दी गई धनराशि से कराये गये कार्यों की जांच कराई गयी। जांच में गांव प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धनराशि का दुरूपयोग प्रकाश में नहीं आया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद के आई0 आर0 डी0 में भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-4-90 का पत्र श्री राजमणि पाण्डे निवासी ग्राम मंझानपुर पोस्ट बनगांव जिला-फैजाबाद तथा श्री रामचन्द्र गोसाई निवासी-ग्राम खजुरी पोस्ट मदारभारी जनपद फैजाबाद के प्रार्थना पत्रों के साथ जिसमें आई0 आर0 डी0 में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, मिल गया है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

जिलाधिकारी फैजाबाद ने जिला गन्ना अधिकारी, फैजाबाद को जांच हेतु आदेशित कर दिया है।

जनपद फैजाबाद की गांव सभा में भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 25-4-90 का पत्र अखिलेश्वर प्रसाद सिंह देव निवासी ग्राम

नरहरपुर विकास खण्ड मीटी जनपद फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र के साथ जिसमें जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गांव सभा में कराये गये कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी है मिल गया है? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच खण्ड विकास अधिकारी मीटी से करायी जा रही है।

जनपद गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राइमरी शिक्षक संगठन के अध्यापकों को वेतन का भुगतान न किया जाना

3—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासनादेश के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक संगठन के अध्यापकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है? क्या इनका भुगतान अविलम्ब किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं। जिन विद्यालयों के अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, उनका फरवरी, 1990 तक का भुगतान किया जा चुका है।

शेष भुगतान भी यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आबकारी विभाग के निरीक्षकों व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच में विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह (गाजीपुर)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नाथ मुंबई तत्कालीन राज्य मंत्री, आबकारी विभाग के कार्यकाल में आबकारी निरीक्षकों व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध चल रही विभागीय/अनुशासनिक एवं विभिन्न प्रकार की जांचों सम्बन्धी लम्बित मामलों की सूची आबकारी आयुक्त द्वारा मंगाई गई थी? यदि हां, तो क्या वह प्राप्त हुई थी? यदि प्राप्त हुई थी, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त कार्यवाही में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां, आबकारी विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही एवं विभिन्न प्रकार के कुल 65 मामलों की सूचना आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। इनमें से अब तक 47 मामलों में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। अन्य मामलों में कार्यवाही चल रही है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। तदनुसार विलम्ब के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

5—श्री हरवंश सहाय—

(दि0 25-6-90 को अता0प्र0सं0 54 द्वारा उत्तरित)

जिला परिषदों में केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अधिकारियों का 5 वर्षों की तैनाती के उपरान्त स्थानान्तरण

6—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अधिकारियों पर भी शासनादेश लागू है कि उनका स्थानान्तरण किसी भी जनपद में 5 वर्षों की तैनाती के उपरान्त जनहित में अवश्य होगा? यदि हां, तो जिला परिषद् लखनऊ में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो 5 वर्षों से अधिक अवधि से तैनात हैं और क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

वर्तमान में जिला परिषद् लखनऊ में केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग का केवल एक अधिकारी 5 वर्ष से ऊपर की अवधि से कार्यरत है। जो खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग से ऊपर मुख्य अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। इनके अन्यत्र स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन है।

जनपद मथुरा में आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधि निर्माताओं को स्प्रिट की मात्रा का आवंटन एवं जांच

7—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधि निर्माताओं को स्प्रिट की कुल कितनी मात्रा वार्षिक कोटे के आधार पर आवंटित की जाती है? क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधिकारी मथुरा द्वारा स्प्रिट के कितने लाइसेंसधारियों की जांच पिछले तीन सालों में कराई गई है? कितने निर्माताओं के विरूद्ध अनियमितताओं के मामले सामने आये और कितने लाइसेन्स रद्द किये गये? किन निर्माताओं को विगत 3-4 माह में एक लाख लीटर डिनेचर्ड स्प्रिट का आंवटन किया गया? यह आवंटन किन मापदंडों के आधार पर किया गया?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मथुरा जनपद में वर्तमान में आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधि के चार निर्माताओं को एल-2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत 50,893.6 अल्कोहल लीटर सुरासव का वार्षिक कोटा आवंटन है।

विगत तीन वर्षों में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा उस समय जनपद मथुरा में स्थित 5 आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधि निर्माताओं की जांच समय-समय पर करायी गयी। जांच के दौरान एक निर्माता के विरूद्ध अनियमिततायें पायी गयी। जिसके फलस्वरूप उसका एल-2 लाइसेंस निरस्त किया गया।

उक्त औषधि निर्माताओं को एल-2 लाइसेंस के अन्तर्गत केवल शोधित आसव आवंटित किया जाता है, अतः उन्हें डिनेचर्ड स्प्रिट के आवंटन का प्रश्न नहीं है।

जनपद में किसी अन्य इकाई को विगत 3–4 माह में एक लाख लीटर डिनेचर्ड स्प्रिट का आवंटन नहीं किया गया। अतः मापदण्ड के आधार दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

जनपद बरेली के थाना फतेहगंज के ग्रामों में जन्तुओं के संरक्षण की व्यवस्था

8—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बरेली के थाना–फतेहगंज पूर्वी के ग्राम मानपुर, सिवराजपुर, नगेरिया खुर्द, सैदपुर, शहजादपुर आदि थाना जैतीपुर एवं थाना परोर व जलालाबाद के ग्रामों में पाढ़ा काला हिरन व अन्य वन्य जन्तु हैं? यदि हां, तो उक्त जन्तुओं के संरक्षण हेतु शासन ने क्या व्यवस्था की है?

वन एवं खेलकूल मंत्री (श्री मोहम्मद असलम खां)—

जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी के ग्राम मानपुर शिवराजपुर नगरिया खुर्द, सैदपुर, शहजादपुर, आदि में पाढ़ा व काला हिरन देखे जाने की सूचना नहीं हैं तथा जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर परोर व जलालाबाद के ग्रामों में यद्यपि कोई पाढ़ा नहीं दिखा है परन्तु दिनांक 4–7–90 को 12 काले हिरन अवश्य देखे गये हैं। उक्त दोनों ही जनपदों के उल्लिखित क्षेत्रों में अन्य वन्य जन्तु, जैसे लोमड़ी नीलगाय, आदि पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं।

उक्त क्षेत्रों में वन्य जीव परिरक्षण संगठन का कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है परन्तु स्थानीय वन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त वन्य जन्तुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव में बसनी एवं कनिपर, कन्या इण्टर कालेज को साइन्स की मान्यता तथा आर्थिक सहायता देने की मांग

9—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या इण्टर कालेज, बसनी व कन्या इण्टर कालेज कनिपर ब्लाक बड़ागांव जनपद वाराणसी में सरकार साइंस की मान्यता देगी और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने हेतु इन दोनों कालेजों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर तक विज्ञान की मान्यता प्रदान की जा चुकी है। इण्टरमीडिएट के लिए कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

जनपद बांदा में जनपदीय बेसिक शिक्षा समिति द्वारा बेसिक स्कूलों की मरम्मत आदि पर धन व्यय किया जाना

10—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बेसिक स्कूलों के विकास अभिदान का 1/12 अंश जिला बेसिक शिक्षा परिषद् के विकास अभिदान खाता में जमा होता है? यदि हां, तो वर्ष 88–89 एवं 89–90 में कितना धन जमा हुआ है? क्या इस धन का व्यय वितरण बेसिक स्कूलों की मरम्मत आदि के

लिए जनपदीय बेसिक शिक्षा समिति के द्वारा होता है? यदि हां, तो सम्बन्धित समिति की किस दिनांक की बैठक में किन-किन स्कूलों को धन कितना-कितना वितरण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

1/10 अंश जमा होता है। वर्ष 1988-89 में रू0 89,373=60 पैसा एवं वर्ष 1989-90 में रू0 68,480=40 पैसा जमा हुआ।

जी हाँ।

वांछित विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 87 पर)

11—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

(7वें सोमवार के लिए स्थगित)

जनपद जालौन में भवनहीन जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण

12—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीनस्थ संचालित भवन विहीन प्राइमरी कन्या/जूनियर हाईस्कूल के भवनों के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इन विद्यालयों के भवन निर्माण हो जायेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

चार भवनहीन जूनियर हाईस्कूलों तथा सभी भवनहीन प्राइमरी स्कूलों का निर्माण इस वर्ष प्रस्तावित है।

निदेशक प्राणि उद्यान, लखनऊ के खिलाफ लगाये गये आरोप की जांच

13—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 25-4-1990 का पत्र मिला है जिसमें निदेशक प्राणि उद्यान, लखनऊ के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद असलम खाँ—

प्रश्नकर्ता विधायक जी का पत्र दिनांक 25-4-90 उपलब्ध न हो सका अतः माननीय विधायक ने उसकी प्रति दिनांक 10-7-90 को उपलब्ध करा दी है, जिस पर तत्परतापूर्वक जांच की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद चमोली में नीती एवं माणा घाटियों के पैदल मार्गों के निर्माण पर व्यय एवं उनका रख-रखाव

14—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में नीती एवं माणा घाटियों में सीमान्त क्षेत्रों में पैदल मार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर चमोली द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो 1988-89 एवं वर्ष 1989-90 में 1 फरवरी, 1990 तक इन सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि में कार्य स्थलों पर जाकर कार्यों का निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो किन अधिकारियों द्वारा कब और कहां निरीक्षण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में 1 फरवरी 90 तक इन सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव में कुल रू0 10,63,58.47 की धनराशि व्यय की गयी है।

जी हां।

विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

अधिकारी का पद	तिथि	कार्यस्थल
अधिशासी अभियंता	10.10.88	नीती घाटी के मार्गों का निरीक्षण
	22.8.89	माणा घाटी के मार्गों का निरीक्षण
	14.10.89	माणा घाटी के मार्गों का निरीक्षण
अधीक्षण अभियंता	12.5.88	माणा घाटी के मार्गों का निरीक्षण
	29.7.88	माणा घाटी के मार्गों का निरीक्षण
	30.7.88	नीती घाटी के मार्गों का निरीक्षण
	1.11.89	माणा घाटी के मार्गों का निरीक्षण
	2.12.89	नीती घाटी के मार्गों का निरीक्षण

मुख्य अभियंता	7.5.88	माणा घाटी के मार्गों का निरीक्षण

जनपद चमोली में वन्य जन्तुओं द्वारा नुकसान पहुंचाने पर दिये गये मुआवजा की धनराशि

15—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1985 से लेकर 1 फरवरी, 1990 तक जनपद चमोली से पालतू जानवरों एवं मनुष्यों को वन्य जन्तुओं द्वारा मारे जाने एवं नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा दिये जाने हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं? इनमें से उक्त अवधि में कितने लोगों को मुआवजा दिया गया और प्रत्येक को कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी? इनमें से कितने प्रार्थना-पत्र मुआवजा स्वीकृति हेतु अभी तक लम्बित पड़े हैं? स्वीकृति में देरी के क्या कारण हैं?

श्री मोहम्मद असलम खां—

1 अप्रैल, 1985 से लेकर 1 फरवरी, 1990 तक जनपद चमोली से पालतू जानवरों एवं मनुष्यों को वन्य जन्तुओं द्वारा मारे जाने एवं नुकसान पहुँचाने पर मुआवजा दिए जाने हेतु कुल 469 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 124 प्रार्थना-पत्रों को नियमानुसार मुआवजा देय न होने के कारण अस्वीकृत किया गया। शेष 345 प्रार्थना-पत्रों में से 241 मामलों में कुल रूपया 2,81,150.00 मुआवजा दिया जा चुका है। प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवजे की धनराशि का विवरण संलग्न है। 104 प्रार्थना पत्रों पर अभी जाँच चल रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में जांच करने तथा केस की वास्तविकता का पता लगाने एवं औपचारिकताओं को पूरा करने में दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कुछ समय लग जाता है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 88 पर)

चमोली स्थित नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क को खोलने पर प्रतिबन्ध

16—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली स्थित नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों के लिए खोलने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो पार्क कब तक खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी नहीं।

जनपद चमोली में स्थित नन्दादेवी, राष्ट्रीय पार्क, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र के अन्तर्गत "कोर" जोन हैं, जहां केवल पेड़ पौधों, वन्य जीवों व पर्यावरण सम्बन्धी अनुसन्धान एवं वैज्ञानिक अध्ययन को छोड़कर, अन्य मानवीय कार्यकलाप वर्जित हैं। अतः इस पार्क को पर्यटकों के लिये खोलना सम्भव नहीं है।

जनपद मऊ के विकास खण्ड रानीपुर की खाद्यान्न योजना स्टाक की जाँच में पायी गयी अनियमितता के खिलाफ कार्यवाही

17—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि विकास खण्ड रानीपुर जनपद मऊ में खाद्यान्न योजना के स्टाक की कोई जांच नवम्बर, 88 में हुई थी? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां। परन्तु प्रश्नगत जांच नवम्बर, 88 में न कराकर मार्च, 89 में करायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार मामले में 409-82-500 कुन्तल खाद्यान्न (चावल) के विपरीत 270-34 कुन्तल खाद्यान्न की कमी तथा 115.20-500 कुन्टल खाद्यान्न निष्प्रयोज्य पाया गया। निष्प्रयोज्य खाद्यान्न सहित कुल 385-54-500 कु0 खाद्यान्न की क्षति हुई है जिसके लिये सम्बंधित भण्डार लिपिक को निलंबित कर दिया गया तथा प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये गये खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

राजकीय बालिका इन्टर कालेज अमरोहा के अध्यापिकाओं का स्वीकृत चयन वेतनमान निरस्त करने का कारण्

18—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा में ऐसी कितनी अध्यापिकायें हैं जिनको मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मुरादाबाद ने 16 वर्ष की अविरल सेवा के आधार पर राजाज्ञा सं0-3377, दिनांक 29-12-81 के अंतर्गत चयन वेतनमान स्वीकृत कर दिया था किन्तु शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ने नियुक्त तिथि से उनकी सेवाओं को नियमित नहीं माना था और स्वीकृत चयन वेतनमान का आदेश निरस्त कर दिया था? यदि हां, तो क्यों और कब तक उन्हें चयन वेतनमान दे दिया जायेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

चार

क्योंकि उस समय उक्त चार में से किसी को भी चयन वेतनमान देय नहीं था।

एक अध्यापिका को नियमानुसार चयन वेतनमान दिया जा चुका है। शेष को देय नहीं है।

"जामिया उर्दू, अलीगढ़ की उपाधि" धारकों द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी करने पर प्रशिक्षित अध्यापक का वेतनमान देने की मांग

19—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि "जामिया उर्दू, अलीगढ़ की उपाधि" मौअल्लिम में उर्दू (जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा-9 से 10 तक उर्दू पढ़ाने की मान्यता प्रदान कर रखी है) उत्तीर्ण करने वालों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों

में नौकरी करने पर प्रशिक्षित अध्यापक का वेतनमान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी---

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण/अर्हता के समकक्ष न होने के कारण।

20---श्री अनिल कुमार भारद्वाज---

(5 वें बुध में अता0प्र0सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में आवन्टित धनराशि का विवरण

21---श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी---

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों जैसे सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत इत्यादि हेतु वर्ष 1990-91 हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? क्या मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर डुमरियागंज हेतु कुछ और धनराशि आवंटित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

जिला योजना के अन्तर्गत जो भी परिव्यय निर्धारित होता है वह पूरे जनपद के कार्यों के लिये होता है फिर भी जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज को वर्ष 90-91 में जिला योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु रू0 40.00 लाख का आवंटन प्रस्तावित है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में मार्गों के अनुरक्षण के लिये वर्ष 90-91 के प्रथम 4 माह के लिये रू0 2.25 लाख प्रस्तावित है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 90-91 में प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में न तो कोई कार्य स्वीकृत है और न ही कोई धनराशि आवंटित है।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त अनुदान सम्भव नहीं है।

22---डा0 शिवानन्द नौटियाल---

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के विकास खण्डों में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण कार्य की प्रगति

23---श्री नजमुद्दीन---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 274-नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र, इलाहाबाद में विकास खण्डों द्वारा कितने मार्ग प्रस्तावित हैं? उनमें से वर्ष 1989-90 तक कितना कार्य पूरा कर लिया गया है और कितना कार्य शेष है? शेष कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

274 नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद में विकास खण्डों द्वारा 19 मार्ग प्रस्तावित है।

वर्ष 1989-90 तक उक्त मार्गों से 8 मार्ग पूरा कर लिया गया है और 11 कार्य अवशेष हैं।

अवशेष कार्यों को दिसम्बर 90 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है।

माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सी.टी. ग्रेड पदों पर नियुक्ति एवं एल0 टी0 ग्रेड में बदलने की मांग

24—श्री राजधारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त/सृजित सी0 टी0 ग्रेड पदों पर नियुक्ति किए जाने पर सरकार विचार कर रही है? क्या सी0 टी0 ग्रेड को एल0 टी0 ग्रेड में बदले जाने का भी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

ग्रेड को बदलने का कोई प्रश्न नहीं है।

25—डा0 दिनेश जौहरी—

(7 वें शुक्र में अता0प्र0सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बांदा के ग्राम सभा चकौंध विकास खण्ड पहाड़ी (कर्वी) में जवाहर योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का सत्यापन

26—श्री राम प्रसाद सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 90 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यों का प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा करा लिया गया है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

जांच परिणाम के अनुसार जवाहर रोजगार योजना में ग्राम सभा चकौंध विकास खण्ड पहाड़ी तहसील-कर्वी को 59668-00 रू0 दिये गये। कार्य का आंकलन सहायक अभियंता (च0) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा द्वारा किया गया जिसमें उक्त योजना में 51912=00 रू0 का आंकलन प्रमाणित किया गया है। 7608-00 रूपया निर्बल वर्ग योजना हेतु प्रधान द्वारा ग्रामीण बैंक चकौंध में जमा किया गया है व्यय हेतु निकाली गयी धनराशि में से 424-00 रू0 जांच के समय प्रधान के पास शेष थी।

चूंकि जवाहर रोजगार योजना की पूरी धनराशि का सत्यापन जांच अधिकारी के आंकलन रिपोर्ट से प्रमाणित होता है, अतः अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बांदा के ग्राम नन्दवारा में सामुदायिक विकास केन्द्र की मरम्मत में की गयी अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

27—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ए/75/सामान्य/87, दिनांक 17 नवम्बर, 1987 अपर जिलाधिकारी परियोजना, जनपद बांदा को ग्राम नन्दवारा, ब्लाक महुआ, जनपद बांदा में बने सामुदायिक विकास केन्द्र की मरम्मत में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण की जांच की गयी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार मा0 प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-11-87 अभिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतहर अली सिद्दीकी प्रवक्ता, सी0 एस0 नेहरू कालेज, हरदोई के एरियर के भुगतान पर कथित रोक

28—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एस0 नेहरू महाविद्यालय, हरदोई के अर्थशास्त्र के प्रवक्ता श्री अतहर अली सिद्दीकी के नये वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में जो आपत्तियां शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, इलाहाबाद द्वारा लगायी गयी थीं उसके निराकरण के पत्रांक 858/के0नि0 दिनांक 29-6-89 व अनुस्मारक 1012/वे0नि0 दिनांक 11-9-89 व अनुस्मारक 1203/वेतन दिनांक 8-1-90 के भेजे जाने के उपरान्त भी क्या अभी तक श्री सिद्दीकी के वेतन के एरियर के भुगतान पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो विलम्ब के कारण क्या हैं?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज विकास खण्ड में सम्पर्क मार्गों का निर्माण एवं सोलिंग कार्य

29—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खण्ड में विकास खण्ड द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों का निर्माण सोलिंग स्तर तक कराया गया है? इनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है और इसको लेपन स्तर तक निर्मित कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकास खण्ड द्वारा कुल 31 सम्पर्क मार्गों पर 14-030 कि.मी. लम्बाई में सोलिंग स्तर तक का कार्य कराया जा चुका है। सड़कों की लम्बाई सहित पूर्ण विवरण संलग्न है।

इनको लेपन स्तर तक निर्मित कराने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के प्रबंध कारिणी समिति द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है। अतः इस समय इन मार्गों पर लेपन किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 90 पर)

30—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज ब्लाक में विकास खण्ड द्वारा निर्मित कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग कच्चे हैं? उनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है? इन पर सोलिंग कब तक करा दी जायेगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज ब्लाक में विकास खण्ड द्वारा निर्मित कुल 37 सम्पर्क मार्ग कच्चे हैं जिनकी कुल लम्बाई 22-955 कि.मी. है। मार्गों की अलग-अलग लम्बाई सहित पूर्ण विवरण संलग्न है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 21-1-90 के निर्णय के अनुसार अभिकरण के पास उपलब्ध धनराशि में से माननीय सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी। चूंकि इन मार्गों पर सोलिंग कराने हेतु अभिकरण के पास कोई धन अलग से आरक्षित नहीं है अतः इन पर सोलिंग कराने की समयबद्धता निश्चित नहीं की जा सकती।

(देखिये नत्थी "ड." आगे पृष्ठ 92 पर)

जनपद आजमगढ़ के ग्राम चक्की हाजीपुर में निर्मित सम्पर्क मार्ग

31—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चक्की हाजीपुर, वि0 खण्ड हरैया, जनपद-आजमगढ़ के निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग के रोके जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 90 परगनाधिकारी, सगड़ी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्राम चक्की हाजीपुर के सम्पर्क मार्ग के अवरोध को समाप्त करा दिया गया है तथा सम्पर्क मार्ग बन कर पूर्ण हो गया है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय सहा0 प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में अध्यापकों/कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 धनराशि को जमा न किया जाना

32—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के किन-किन

सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की धनराशि 31 मार्च, 90 तक खातों में जमा नहीं की गयी है? उसे जमा न करने के क्या कारण है तथा इसे कब तक जमा करा दिया जायेगा? इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

निम्नांकित पाँच विद्यालयों में जमा नहीं की गयी है:—

1— श्री गणेश पाण्डेय इ0का0 खजनी
2— श्री कृष्ण कृषि उद्योग उ0मा0वि0, नइयापार
3— भूमिधर इण्टर कालेज, सिकरीगंज
4— श्याम कृष्ण इ0का0, धवईपार
5— नेहरू उ0मा0वि0, अमहिया

प्रथम तीन विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों ने अपनी पासबुकों से धन आहरित कर लिया है किन्तु निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी जी0पी0एफ0 खाते में धन जमा नहीं किया है। क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित विद्यालयों में संबंधित अभिलेख उपलब्धान न होने के कारण धन जमा नहीं किया गया है।

शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

33—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

(7 वें सोम के लिये स्थगित)

जनपद शाहजहाँपुर के आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज के स्टाफ को नियारित समय से वेतन भुगतान तथा जी0पी0एफ धनराशि जमा न होने की शिकायत

34—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान शिक्षक वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अनुरूप हो रहा है? क्या वहां निर्धारित समय में वेतन भुगतान हो जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इस परिप्रेक्ष्य में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

35—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर नगर तिलहर में स्थित आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि माह अक्टूबर, 1988 से काटी जा रही है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह राशि नियमित रूप से जमा नहीं हो रही है? धनराशि जमा न होने पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को इस पर मिलने वाले अर्जित

ब्याज की क्षति हेतु कौन उत्तरदायी है तथा सरकार दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर में पंचायत उद्योग द्वारा उद्योग स्थापित करने वाले व्यक्तियों को सहायता देने की मांग

36—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 दिसम्बर, 1989 तक शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर में पंचायत उद्योग से कितने व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान की गयी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर में दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक पंचायत उद्योग में किसी व्यक्ति को उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

मदरसा दर्स गाहे आलिया इस्लामिया शरीफनगर मुरादाबाद में कार्यरत स्टाफ के मध्य विवाद तथा वेतन भुगतान का मामला

37—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दर्स गाहे आलिया इस्लामिया शरीफनगर मुरादाबाद के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को उनका वेतन वर्ष 1987 से नहो दिया जा रहा है जबकि डा0 कुमर बहादुर सिंह उप शिक्षा निदेशक विज्ञान शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, ने अपने अ0 सा0 पत्रांक सं0-2/विस्तार/16-33/88, 89 दिनांक 23 फरवरी, 88 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद को वेतन भुगतान कराने हेतु लिखा है? यदि हां, तो उक्त वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

मदरसे में कार्यरत अनुमोदित स्टाफ के मध्य घोर विवाद है तथा प्रबन्धतन्त्र का प्रभावी नियंत्राण नहीं है।

पी0 डब्लू0 डी0 विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने की कार्यवाही

38—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 16-1-90 जो कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् एवं पी0 डब्लू0 डी0 नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ द्वारा वेतनमान में हुई विसंगति को दूर करने से संबंधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

प्रमुख अभियंता से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री आर० के० सिंह भू०पू० परियोजना प्रबन्धक निर्माण निगम, लखनऊ के द्वारा कराये गये कार्यों की जांच

39—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक लखनऊ आर० के० सिंह की प्रतिनियुक्ति काल समाप्त होने के बाद भी निर्माण निगम में परियोजना प्रबन्धक एवं जन सम्पर्क अधिकारी दोनों पदों पर रखा गया है? क्या मंत्री जी उक्त परियोजना प्रबन्धक की प्रतिनियुक्ति समाप्त करेंगे और उनके कार्यकाल में निर्माण निगम में कराये गये कार्यों की जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गयी है तथा श्री आर० के० सिंह को दिनांक 21.6.90 (अपरान्ह) से राजकीय निर्माण निगम से कार्यमुक्त कर दिया है।

श्री आर० के० सिंह के विरुद्ध निगम में प्राप्त शिकायतों पर प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम द्वारा जाँच करायी जा रही है।

40—श्री राम स्वरूप वर्मा—

(5 वें बुध में अता०प्र०सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला अलीगढ़ में डिग्री कालेज (कृषि) खोले जाने सम्बन्धी दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

41—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अतरौली, जिला अलीगढ़ में डिग्री कालेज (कृषि) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री को सम्बोधित एवं सचिव, शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन एवं कुलपति आगरा विश्वविद्यालय, आगरा को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का दिनांक 27-4-90 का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है तथा अतरौली, जिला-अलीगढ़ में डिग्री कालेज (कृषि) की स्थापना की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

कृषि संकाय में सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स प्रदान करने की शासन की नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम सभा-पीपली के प्रधान द्वारा जवाहर योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितता के विरूद्ध शिकायती पत्र

42--श्री कल्यान सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान ग्राम प्रधान, ग्राम सभा-पीपली , विकास खण्ड-बिजौली, जिला-अलीगढ़ के विरूद्ध "जवाहर योजना" में किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला-अलीगढ़ को संबोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 21-3-90 के पत्र के साथ उक्त ग्राम के नागरिको द्वारा हस्ताक्षरित कोई शिकायती पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपर्युक्त ग्राम प्रधान के विरूद्ध क्या-क्या आरोप है? इन आरोपों की जांच किस अधिकारी ने की है और जांच का निष्कर्ष क्या है? सरकार ने इस संबंध में उक्त ग्राम प्रधान के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

43--श्री कल्यान सिंह--

(6 वें गुरू में अता0प्र0सं0 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

44--श्री कुवंर सिंह नेगी--

(6वें शुक्र में अता0प्र0सं0 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

विकास खण्ड अहिरौरी की कतिपय ग्राम सभाओं में जवाहर योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

45--श्री परमाई लाल--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड अहिरौरी की ग्राम सभा विक्टोरियागंज, बेउरापुर, मदारा, काईमऊ थोकवा, करीमनगर, सैदापुर, गोपार व खजुरमई को वित्तीय वर्ष 89-90 के जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन से कराये गये कार्यों हेतु मजदूरों को कितनी मजदूरी दी गयी और कितने मानव दिवसों का सृजन किया गया? प्रत्येक ग्राम सभा के मजदूरों को दी गयी मजदूरी का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

विकास खण्ड अहिरौरी के अन्तर्गत वर्ष 89-90 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन से कराए गए कार्यों हेतु प्रश्न में वर्णित प्रत्येक ग्राम सभा में मजदूरों को दी गयी मजदूरी व सृजित मानव दिवसों का विवरण निम्नवत् है।

क्रम सं0	ग्राम सभा	मजदूरों को दी गयी मजदूरी	सृजित मानव दिवस
1-	विक्टोरियागंज	115026.00	6387
2-	बेउरापुर	35098.00	1952
3-	मदारा	72886.00	3901

4—	काईमऊ	30544.00	2141
5—	ओकवा	25056.00	1392
6—	करीमनगर सैदापुर	138080.00	7671
7—	गोपार	60312.00	3350
8—	खजुरमई	14433.00	691

विधान भवन के विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 में वर्कचार्ज एवं दैनिक मजदूरी पर कार्यरत स्टाफ को नियमित किये जाने की कार्यवाही

46—श्री दयाशंकर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन स्थित विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं0-2, 3 में कितने कर्मचारी वर्कचार्ज तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कितने वर्षों से कार्यरत हैं? क्या मंत्री उक्त सभी कर्मचारियों जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को नियमित करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

विधान भवन में केवल अनुरक्षण खण्ड-2 ही कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत वर्कचाज के 45 कर्मचारी 6-8 वर्षों से तथा दैनिक मजदूरी पाने वाले 56 कर्मचारी 4-5 वर्षों से कार्यरत हैं।

नियमित पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके उपरान्त ही विनियमितीकरण करना सम्भव होगा।

47—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

(दि0 9-7-90 को ता0प्र0सं0 6 द्वारा उत्तरित)

48—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

(7वें सोम के लिए स्थगित)

जनपद चमोली में अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उसका निरीक्षण किये जाने की मांग

49—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा 1 अप्रैल, 1988 से लेकर 1 फरवरी, 1990 तक वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण की कितनी योजनाओं पर कार्य किया गया? इन योजनाओं पर कुल कितना धन व्यय किया गया? क्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त योजनाओं का कार्यस्थल पर जाकर कभी निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जनपद चमोली में अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा 1 अप्रैल

1988 से 1 फरवरी, 1990 तक वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण को 5 योजनाओं पर कार्य किया गया।

कुल रू0 1,20,72,080/- व्यय किया गया।

जी हां।

मई, 1988 में दिनांक 6,10,11,17,19,27, को
जून, 1988 में दिनांक 1,6,11, को।
जुलाई, 1988 में दिनांक 14,16,17,18,19,20,23,25,28,29, को।
अगस्त, 1988 में दिनांक
4,5,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29, को।
सितम्बर, 1988 में दिनांक 5,6,7,8, को।
अक्टूबर, 1988 में दिनांक 13,24,25, को।
नवम्बर, 1988 में दिनांक 5,16,22,23,24,26,27,28 को।
दिसम्बर, 1988 में दिनांक 4,5,6, को।

जनवरी, 1989 में दिनांक 10,11,13,23,24,25,को।
फरवरी, 1989 में दिनांक 13,14,15,16,17,25,26,27,28, को।
मार्च, 1989 में दिनांक 4,5,6,11,12,13,14,21,22,27, को।
अप्रैल, 1989 में दिनांक 17,18,19,27,28, को।
मई, 1989 में दिनांक 12,13,17,18,22,28,29, को।
जून, 1989 में दिनांक 10,11,12,13,23,24,25,27,28 को।
जुलाई, 1989 में दिनांक 25,26,27 को।
अगस्त, 1989 में दिनांक 8,9,10,15,17,21,23,24,28,29,31को।
सितम्बर, 1989 में दिनांक 8,9,11,18, को।
अक्टूबर, 1989 में दिनांक 31, को।
नवम्बर, 1989 में दिनांक 4,20 को।
दिसम्बर, 1989 में दिनांक 5,12,13, को।
जनवरी, 1990 में दिनांक 5,9,10,11,12,13,17,18,19,29,
30,31, को।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज किछा में अध्यापिकाओं के रिक्त पदों पर चयन का मामला

50—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज किछा में अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त होने के कारण छात्राओं का प्रशिक्षण सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कालेज में शिक्षिकाओं की संख्या पूर्ण करने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

रिक्त पदों पर व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

65 छात्रों का प्रवेश निरस्त करने, परीक्षाफल स्थगित करने तथा दोषी प्राचार्य को निलम्बित करने का आदेश गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रबंधतंत्र को देने की मांग

5।—श्री राजधारी—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–68 के उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त 65 छात्रों की परीक्षाएं करवाकर कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रवेश निरस्त किये जाने के बाद किन नियमों के तहत परीक्षाएं करवाकर परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है? क्या मंत्री जी सन्दर्भित प्रश्न में उक्त 65 छात्रों का प्रवेश निरस्त करने, परीक्षाफल स्थगित करने तथा दोषी प्राचार्य को निलंबित करने का आदेश कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं कालेज की प्रबन्धक समिति को देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

दिनांक 8–3–90 में विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने संकल्प संख्या 18 के द्वारा इन छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने के निर्णय के अनुसार प्रश्नगत 65 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाकर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित कर दिया।

विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। अतः शासन द्वारा निरस्तीकरण तथा स्थगन आदि के सम्बन्ध में कुलपति को निर्देश दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्राचार्य को निलम्बित करने का अधिकार प्रबन्धतंत्र में निहित है और शिक्षा निदेशक (उ0शि0) द्वारा प्राचार्य के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश प्रबन्धतंत्र को भेजे जा चुके हैं।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में सहायक अभियन्ता के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

52—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में 15 जून, 1989 को सहायक अभियन्ता के पद हेतु परीक्षा हुई है तथा परीक्षा के बाद साक्षात्कार किया गया है? यदि हां, तो कब? क्या साक्षात्कार के बाद सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति हुई है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सहायक अभियन्ता नहीं बल्कि सहायक स्थानिक अभियन्ता के पदों हेतु लिखित परीक्षा 15 जून, 1989 को एवं साक्षात्कार माह अगस्त, 1989 में किया

गया। माह सितम्बर, 1989 में केवल 9 अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित व्यक्तियों की सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की गई।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के अन्तरिम आदेश दिनांक 14-6-89 के अनुसार केवल 25 प्रतिशत तक पद भरने के आदेश थे। नवसृजित 37 पदों के विपरीत इस 25 प्रतिशत के सापेक्ष उपरोक्त 9 (भौ) नियुक्तियां की गई। यद्पि मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका दिनांक 7-12-89 को निरस्त हो चुकी है, परन्तु बाद में शासन के आदेश दिनांक 27-12-89 के द्वारा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण उक्त अवशेष पदों को भरना संभव नहीं हो सका है।

जनपद कानपुर देहात के क्षेत्र बिल्हौर में नई सड़कों के निर्माण की सूची

53—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में मार्च, 1984 से नवम्बर, 1989 तक कौन-कौन नई सड़कें बनाई गई हैं और उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में मार्च, 1984 से नवम्बर, 1989 तक जिन नई सड़कों पर कार्य कराया गया उनकी सूची संलग्न है। उक्त मार्गों पर प्रश्नगत अवधि में कुल 158.85 लाख रू0 का व्यय हुआ है।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 94 पर)

जनपद बांदा के ग्राम केशरूवा एवं कीरतपुर को अलग-अलग ग्राम सभा घोषित किये जाने हेतु निवासियों के पत्र पर कार्यवाही

54—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम केशरूवा तथा कीरतपुर के निवासियों का पत्र दिनांक 20-10-86 को ग्राम केशरूवा तथा कीरतपुर को अलग ग्राम सभा घोषित करने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मौजूदा समय में उपरोक्त गांवों की वोटर संख्या तथा आबादी क्या है तथा ये कब तक ग्राम सभा घोषित हो जायेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम केसरूवा तथा कीरतपुर की वर्तमान जनसंख्या एवं मतदाता संख्या निम्नानुसार है:—

	जनसंख्या	मतदाता सं0
ग्राम केसरूवा	289	143
ग्राम कीरतपुर	171	92

ग्राम केशारूवा को प्रथम ग्राम सभा घोषित किये जाने की विज्ञप्ति भी शासकीय गजट में दिनांक 28 अप्रैल, 1990 को प्रकाशित हो चुकी है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा कहरा एवं सहनपुर का गठन तथा प्रधानों आदि का अलग-अलग चुनाव कराने की मांग

55—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक पंचायत राज ने अपने आदेश दिनांक 8-8-89 द्वारा ग्राम सभा जो कहरा विकास खण्ड हरैया जनपद आजमगढ़ को दो ग्राम सभाओं में विभाजित किया था? यदि हां, तो क्या दोनों ग्राम सभाओं का विधिवत गठन हो गया है? यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक कर दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

जी हां।

जनपद में विभिन्न ग्राम सभाओं में प्रधान, उपप्रधान एवं सदस्यों के कर रिक्त पदों के उप चुनाव के साथ-साथ ग्राम सभा जो कहरा एवं सहनपुर के प्रधान, उपप्रधान एवं सदस्यों के चुनाव कराये बगैर विधिवत गठन करना अभी सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक विकास दल के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या एवं अन्य विवरण

56—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में प्रादेशिक विकास दल के कितने प्रशिक्षित सैनिक हैं? इनमें से कितने को कार्य पर लिया जाता है और वर्ष में कितनी अवधि तक?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद आजमगढ़ में प्रादेशिक विकास दल के 1526 प्रशिक्षित स्वयं सेवक हैं। इनको कार्य पर लिये जाने के लिए कोई संख्या तथा अवधि पूर्व निर्धारित नहीं होती है। इन्हें बाढ़, समाजसेवा, सूखा राहत, मेला, प्रदर्शनी, तीर्थ यात्रा, सुरक्षा व्यवस्था, तथा निर्वाचन आदि के समय आवश्यकतानुसार एक निश्चित अवधि के लिये कार्य पर लिया जाता है।

जनपद मऊ के सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में विभागीय आदेशों के बाद प्रबन्धाधिकरणों द्वारा कतिपय अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण न करने देना

57—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में दिनांक 30 मार्च 90 को कौन-कौन से ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें विभागीय आदेशों के बाद भी प्रबन्धाधिकरणों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है? ऐसे प्रबन्धाधिकरणों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

1-श्री शिव शंकर राय

2-श्री राधेश्याम राय

सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (डी) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

जनपद सिद्धार्थनगर के सहा0 प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के कर्मचारियों एवं अध्यापकों की भविष्य निधि उनके खाते में जमा न किये जाने की शिकायत

58--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के किन-किन सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि उनके 31 मार्च, 90 तक खाता में जमा नहीं की गयी हैं? जमा न करने के क्या कारण है तथा इसे कब तक जमा करा दिया जायेगा? इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

59--श्री शिव करन सिंह--

(दि0 9-7-90 को अता0प्र0सं0 23 द्वारा उत्तरित)

विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज (बस्ती) में पन्डुल घाट पर बने लकड़ी के पुल के मरम्मत पर हुए खर्च का ब्यौरा

60--श्री कृष्ण किंकर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज (बस्ती) के अन्तर्गत पन्डूल घाट पर बने लकड़ी के जर्जर पुल की मरम्मत जनवरी, 90 से अप्रैल 90 के मध्य कराई गई है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य में मद्वार हुए व्यय का विवरण शासन सदन के पटल पर रखते हुए मरम्मत कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी हां।

प्रश्नगत पुल की मरम्मत पर अब तक मदवार हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है:--

कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1- स्टेपाइल की सप्लाई	87,256 रू0
2- पाइल की गलाई	18,650 रू0
3- पाइल में लोहे की शू की लगवाई	3,410 रू0
4- पाइल में ज्वाइन्ट की लगवाई	1,950 रू0

5– स्लीपर की सप्लाई 20,713 रू0

6– बदलवाई (लेबर) 8,775.45 रू0

7– बीम तथा ब्रेसिंग 9,632 रू0

8– लोहे के कार्य एवं लेबर आदि में 8,624.50 रू0

इस जर्जर सेतु को यातायात हेतु उपयुक्त कराने के लिए मरम्मत पर जो व्यय अपरिहार्य था, कराया गया। पाइल सेतु भारी यातायात के लिए उपयुक्त हो गया है तथा आवागमन जारी है। चूंकि कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त कराया गया है इसलिए मामले में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

रा0 मा0 खण्ड–2 लखनऊ में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की स्वीकृति न होने के बावजूद वेतन आदि का भुगतान किया जाना

6।—श्री महाबीर सिंह राणा—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रा0 मा0 खण्ड नं0–2 लखनऊ में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की स्वीकृति वर्ष 1985 से नहीं है और वेतन आदि का भुगतान बराबर करके शासकीय हानि की जा रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन आदि निकालने का क्या औचित्य है और कौन अधिकारी दोषी है? क्या रा0 मा0–24 पर रख–रखाव के लिए बने मेठ एवं बेलदार 5–6 वर्ष से मस्टर रोल पर चल रहे हैं? क्या उन्हें नियमित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं। स्वीकृत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

मस्टर रोल पर चल रहे कर्मचारियों को पहले कार्यप्रभारित अधिष्ठान में लाया जाता है, तदुपरान्त उन्हें नियमित किया जाता है। चूंकि शासनादेश दिनांक 12–2–90 द्वारा कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति पूर्णतया प्रतिबन्धित (फ्रीज) कर दी गई है, अतः प्रश्नगत कर्मचारियों के नियमितीकरण का अभी प्रश्न नहीं उठता।

62—श्री अमरमणि—

(7वें सोम के लिए स्थगित)

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना सेवा निवृत्त वरिष्ठ सहायक, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, लखीमपुर खीरी का पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान न होने का औचित्य

63—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेश चन्द्र सक्सेना जो कि 31–8–86 को वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर खीरी

से सेवा निवृत्त हुए, को केवल अन्तरिम पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त लगभग चार साल के बाद भी उनके अंतिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी प्रकरण का निस्तारण न होने के क्या कारण है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, जिसके कारण उन्हें अंतिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी स्वीकृत नहीं की गई है।

जनपद मऊ के बरकाईपुरा घाट पहुँच मार्ग के निर्माण में आवंटित एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण

64—श्री मोबीन अहमद आजमी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के बरकाईपुरा घाट पहुंच मार्गों के निर्माण में वर्ष 86-87 से अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है एवं कितना व्यय किया गया है? उक्त मार्ग के अपूर्ण रहने का क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद मऊ के बरलाईपूराघाट पहुंच मार्ग के निर्माण में वर्ष 86-87 से अब तक 15.50 लाख रूपये आवंटित किया गया है एवं आवंटन के समक्ष सम्पूर्ण अर्थात 15.50 लाख रू0 का व्यय हुआ है।

उक्त मार्ग भूमि अध्याप्ति में विलम्ब तथा मिट्टी के कार्य में व्यवधान के कारण अपूर्ण है।

65-65—डा0 दिनेश जौहरी—

(दि0 9-7-90 को अता0प्र0सं0 113-114 द्वारा उत्तरित)

स्व0 के0 डी0 धर सहायक अध्यापक भारतीय पाठशाला इण्टर कालेज फर्रूखाबाद के देयों का भुगतान एवं आश्रित की नियुक्ति हेतु आदेश

67—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री के0 डी0 धर सहायक अध्यापक भारतीय पाठशाला इण्टर कालेज फर्रूखाबाद का देहान्त उनके कार्यकाल में ही एक वर्ष पूर्व हो गया था किन्तु अभी तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान नहीं हुआ है और न ही उनके आश्रितों को कोई नौकरी मिली है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनकी पेंशन, अन्य लाभ एवं आश्रित को नौकरी दिलाने की यथाशीघ्र आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सभी देयों का भुगतान हो चुका है। ग्रेच्युटी देय नहीं है। आश्रित की नियुक्ति हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक धोलाना के कतिपय गांवों के ब्लाक रजापुर में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

68—श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री ग्राम इकला, इनायतपुर, पुठी, रघुनाथपुर को ब्लाक धोलाना, गाजियाबाद से हटाकर ब्लाक रजापुर, गाजियाबाद में शामिल कराने की कृपा करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं।

भारत सरकार ने वर्ष 1991 की जनगणना कार्य को सही ढंग से सम्पादन के हित में राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में जून, 1991 तक परिवर्तन न करने के निर्देश दिये हैं। अतएव किसी भी विकास खण्ड की मूल स्थिति में इस समय परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है।

वृक्ष संरक्षण अधिनियम को संशोधन का प्रस्ताव

69—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा वृक्ष संरक्षण अधिनियम को जनोपयोगी बनाने हेतु शासन इसमें व्यापक संशोधन करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां। प्रश्नगत अधिनियम को और अधिक जनोपयोगी बनाने हेतु उसमें संशोधन के प्रस्ताव विचाराधीन है।

उक्त अधिनियम को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने, छूट वाली प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करने, अवैध कटान पर अधिक प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु दण्ड के प्राविधानों को और कठोर बनाये जाने, आदि संबंधी प्रस्ताव हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में बाघों द्वारा मारे जाने वालों के आश्रितों को दी गई आर्थिक क्षतिपूर्ति

70—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल 1989 से लेकर 31 मार्च, 1990 की अवधि में बाघों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितने लोग मारे गये हैं? मरने वालों के आश्रितों को कितनी राशि क्षतिपूर्ति में दी गयी है?

श्री मोहम्मद असलम खां—

1 अप्रैल, 1989 से लेकर 31 मार्च 1990 की अवधि में शेर/गुलदारों द्वारा उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्र में कुल 27 व्यक्तियों को मारा गया। उनमें से जिन 13 मामलों में नियमानुसार जांच पूरी हो चुकी है उनमें मरने वालों के आश्रितों को कुल रू0 95,000/= अनुग्रह आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा चुकी है।

वन संरक्षण अधिनियम को सरल एवं विकासोन्मुख बनाने हेतु उ0 प्र0 शासन का केन्द्र सरकार को कथित प्रस्ताव

71—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम को सरल एवं विकासोन्मुख बनाने हेतु प्रदेश सरकार ने केन्द्र को कोई प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव केन्द्र के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ यथासमय भेजा जाता है।

72—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

(5वें बुध में अता0प्र0सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद देवरिया के सहा0 प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि की धनराशि को उनके खाते में जमा किया जाना

73—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के किन-किन सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की धनराशि 31 मार्च, 90 तक उनके खातों में जमा नहीं की गयी हैं? उसे जमा न करने के क्या कारण है तथा इसे कब तक जमा करा दिया जायेगा? इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

किसी भी विद्यालय की धनराशि जमा करने को शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा आराजी देवारा अरखिया के सम्पादित कार्य की माप एवं जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही के आदेश

74—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 90 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पादित कार्य की माप एवं जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई? जांच के क्या परिणाम निकले तथा उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम सभा आराजी देवारा अरखिया विकास खण्ड हरैया जनपद-आजमगढ़ में

सम्पादित कार्य की माप एवं जांच दिनांक 9-4-90 एवं दिनांक 30-6-90 को अभियंता जिला परिषद् एवं प्रभारी सहायक अभियंता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा की गयी। जांच में पाया गया कि रू0 15,285.29 का कार्य से अधिक भुगतान किया गया है। इसके समतुल्य कार्य पृथक से कराया गया और सत्यापित करा लिया गया। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

विद्यार्थी उ0 मा0 विद्यालय जगदीशपुर बरडीहा जनपद देवरिया के कतिपय अनियमित नियुक्त अध्यापकों का बकाया वेतन

75—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थी उ0 मा0 विद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा जनपद देवरिया के किन-किन अध्यापकों का मार्च, 84 से अगस्त 85 के मध्य किस-किस अवधि का वेतन बकाया है? अब तक वेतन भुगतान न होने के क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

निम्नांकित 13 अध्यापकों का वेतन अवशेष है:—

सर्वश्री

1- पारस नाथ श्रीवास्तव
2- बैजनाथ गुप्ता
3- राजेन्द्र प्रभा
4- लालमन यादव
5- अक्षयवर प्रसाद
6- चन्द्र भान शुक्ल
7- नर्वदेश्वर शुक्ल
8- ओम प्रकाश दुबे
9- नर्वदेश्वर त्रिपाठी
10- नरसिंह
11- अनिरूद्ध सिंह
12- राम सिंह
13- परमहंस राव

नियुक्ति अनियमित होने के कारण भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी स्टेट के प्राइमरी पाठशालाओं को परिषदीय विद्यालयों में विलीनीकरण का कथित प्रस्ताव

76--श्री विजय सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की दुद्धी तहसील के अन्तर्गत दुद्धी स्टेट की ओर से चल रहे बीस प्राइमरी पाठशालाओं के परिषदीय विद्यालयों में विलीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय दुद्धी-सोनभद्र में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की मांग

77—श्री विजय सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय दुद्धी सोनभद्र की स्थापना के कई वर्षों बाद भी भवन निर्माण करके विज्ञान और वाणिज्य संकाय नहीं खोले गये है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शीघ्र ही राजकीय महाविद्यालय दुद्धी के भवन निर्माण एवं अन्य संकाय खोलने का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी हां।

राजकीय महाविद्यालय दुद्धी के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जा रही है। महाविद्यालय को भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् धन की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण प्रारम्भ होगा, तदुपरान्त वित्तीय संसाधनों एवं छात्रों की उपलब्धता के आधार पर ही अन्य संकाय प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जाना समीचीन होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालय दुद्धी-सोनभद्र के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन एवं मुआवजे का भुगतान

78—श्री विजय सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय दुद्धी सोनभद्र के भवन निर्माण हेतु कितनी भूमि अर्जित की गयी? क्या उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान संबंधित कृषकों को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

राजकीय महाविद्यालय दुद्धी (सोनभद्र) के भवन निर्माण हेतु 14.720 एकड़ भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। अर्जित भूमि का अभि-निर्णय घोषित न होने के कारण सम्बन्धित कृषकों को मुआवजे का भुगतान अभी नहीं हो पाया है।

जनपद सोनभद्र के प्राइमरी पाठशाला दुद्धी में लम्बी अवधि से नियुक्त अध्यापकों की संख्या एवं स्थानान्तरण नीति

79—श्री विजय सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के प्राइमरी पाठशाला दुद्धी में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो कई वर्षों से उक्त पाठशाला में नियुक्त हैं? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

चार अध्यापक पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। स्थानान्तरण नीति

के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण आवश्यक नहीं है। केवल एक अध्यापक ने स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

80—श्री अमर मणि—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

श्री आर. के. सिंह परियोजना प्रबन्धक निर्माण निगम के विरुद्ध जांच कार्यवाही

81—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक आर0 के0 सिंह के विरुद्ध वर्ष 88-89 में डायरियों की छपाई में घपले की जांच हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक श्री आर0 के0 सिंह के विरुद्ध वर्ष 1988-89 में डायरियों की छपाई में घपले की जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

वित्तीय सलाहकार निर्माण निगम उ0 प्र0 द्वारा भवन निर्माण हेतु लिया गया विभाग से कर्ज तथा वापसी

82—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय सलाहकार निर्माण निगम उ0 प्र0 ने भवन निर्माण हेतु कोई कर्ज विभाग से लिया है? यदि हां, तो अब तक कर्ज वापसी की किस्तें न दिये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

ऋण की वसूली नियमानुसार मासिक किस्तों में की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली की जिला स्तरीय योजनाओं का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किये जाने की शिकायत

83—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के पत्रांक 1122/ 38-2-1979, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुपालन में जिला स्तरीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु वर्ष 1990 में 1 मई तक जनपद चमोली के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आमंत्रित किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश देंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनमानों में भिन्नता

84--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त अप्रशिक्षित व मृत -आश्रित अध्यापकों व अध्यापिकाओं तथा प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन में विसंगतियां हैं? यदि हां, तो उसका क्या कारण है? क्या सरकार यह वेतन विसंगति दूर करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी हां, वेतनमानों में भिन्नता है।

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनमानों में भिन्नता होना स्वाभाविक है।

जी नहीं।

क्योंकि भिन्नता उचित है।

ग्राम विकास इण्टर कालेज, बुधौली, कानपुर देहात के इण्टरमीडिएट परीक्षा के कतिपय विद्यार्थियों के अंकपत्रों की प्राप्ति में विलम्ब

85--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास इण्टर कालेज, बुधौली जिला कानपुर देहात के वर्ष 1988-89 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में ऐसे कितने लड़के व लड़कियां हैं जिन्होंने पूरी परीक्षा दी है और उत्तीर्ण भी हैं किन्तु गजट में एक विषय के अंक न अंकित होने के कारण उनको अंकतालिका दिनांक 31-3-90 तक नहीं दी गई है? इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

तीन

केन्द्र व्यवस्थापक से सूचना प्राप्त न होने के कारण विलम्ब हुआ। अब परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

86--श्री माधव--

(6वें शुक्र में अता0प्र0सं0 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

87--श्री पंचानन राय--

(7वें सोम के लिए स्थगित)

आदर्श उ० मा० विद्यालय बनकट, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण द्वारा की गयी अनियमितताओं के निराकरण की कार्यवाही

88--श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श उ० मा० विद्यालय बनकट आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण द्वारा शिक्षकों के उत्पीड़न तथा शासकीय धन के दुरूपयोग से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-2-90 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी हां।

जांच में पायी गयी अनियमितताओं का निराकरण करवाया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग आजमगढ़ को मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

89--श्री पंचानन राय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग से संबंधित मार्गो के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 12-2-90 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

भूमि की उपलब्धता एवं धन के आवंटन के अनुसार निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रदेश के जू० हाईस्कूल प्रधान अध्यापक श्रेणी से प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर कथित पदोन्नति

90--श्री शिव करन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जू० हाई स्कूल प्रधान अध्यापक श्रेणी से प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति का 10 प्रतिशत का कोटा वर्तमान समय में पूरा है? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? उक्त कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

पदोन्नति का कोई कोटा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, अध्यापक पढ़ीस विद्या मन्दिर जू0 हाईस्कूल अम्बरपुर, सीतापुर के बकाये धनराशि के भुगतान की कार्यवाही

91—श्री शिव करन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, अध्यापक जो 1-7-1978 से 9-8-81 तक पढ़ीस विद्या मन्दिर जू0 हाईस्कूल अम्बरपुर (सीतापुर) में कार्यरत थे के बकाया धन आदि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती चन्द्रकली वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 20-1-90 के साथ संलग्न श्रीमती मन्जू मिश्रा का प्रार्थना-पत्र उनके कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो अभी तक श्री मिश्रा के बकाये धन का भुगतान न कराये जाने के क्या कारण है और इनका बकाया धन कब तक भुगतान करा दिया जायेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

प्राप्त बिल त्रुटिपूर्ण होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

भुगतान यथाशीघ्र हो जायेगा।

प्राइमरी पाठशाला माजिम्मिटिया, ब्लाक हरदुआ वाराणसी की सहा0 अध्यापिका श्रीमती राधिका देवी के बकाये धनराशि के भुगतान के निर्देश

92—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी द्वारा सन् 1982 के वेतन निर्धारण का एरियर का भुगतान बहुत से अध्यापकों का हो गया है? यदि हां, तो प्रा0 पा0 माजिम्मिटिया ब्लाक हरदुआ वाराणसी में उस वक्त कार्यरत स0 अध्यापिका राधिका देवी का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और भुगतान सुनिश्चित करेगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

सम्बन्धित लिपिक की असावधानी के कारण भुगतान नहीं हो सका। जांच की जा रही है तथा भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

93—श्री मोबीन अहमद आजमी—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद हरदोई के विकास खण्ड पिहानी में भूमिहीन गारन्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये विकास कार्य का विवरण

94—श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ललवापुर मजरा दमगढ़ा, विकास खण्ड पिहानी जनपद हरदोई जिसमें पूर्णरूप से हरिजन निवास करते हैं की गलियों में खड़न्जा अभी तक न लगाये जाने का क्या कारण है? क्या

यह सही है कि पूरा गांव हरिजन बस्ती होते हुए भी उसमें कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? उक्त गांव में खड़न्जा तथा अन्य विकास के कार्य कब तक करवा दिये जायेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत शासन से प्रति विकास खण्ड, दो अधिकतम आबादी (हरिजन) वाली ग्राम सभाओं में खडंजा लगवाये जाने हेतु धनराशि दी गयी थी। ग्राम सभा दमगढ़ा में हरिजन आबादी अधिकतम न होने के कारण खडंजा निर्माण हेतु धनराशि नहीं दी गयी जिसके कारण उक्त गांव में खडंजा नहीं लगा। उक्त गांव में खण्ड विकास अधिकारी पिहानी के अनुसार निम्नलिखित विकास कार्य कराये गये:—

1— वर्ष 86–87 में दमगढ़ा नहर पुल से ग्राम ललवापुर की पश्चिमी सीमा तक एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत 1444 मीटर सम्पर्क मार्ग निर्मित कराया गया।

2— वर्ष 89–90 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम के अन्दर 108 मीटर गलियारे में मिट्टी कार्य कराया गया।

3— दमगढ़ा तथा ललवापुर के बीच ग्राम सभा की जमीन पर वर्ष 89–90 में 1 प्राईमरी पाठशाला भवन का निर्माण।

4— ग्राम ललवापुर में वर्ष 76–77 में हरिजन पेयजल योजनान्तर्गत 1 कूप का निर्माण कराया गया।

5— क्षेत्र समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये धन से बस्ती में एक साधारण हैण्ड पम्प लगवाया गया।

6— गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उक्त ग्राम के 43 परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में लाभान्वित किया गया।

चूंकि उक्त ग्राम में यथा उपरोक्त विकास कार्य कराये गये हैं अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही कराने का प्रश्न नहीं उठता। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 90–91 हेतु ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई कार्य योजना में उक्त ग्राम में खडंजा निर्माण का प्राविधान किया गया है।

जनपद हरदोई के कतिपय लिंक रोड के निर्माण की मांग

95—श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ललवापुर मजरा दमगढ़ा जनपद हरदोई से ग्राम नवगवा तक लिंक रोड वर्ष 1989 में स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो उस पर आज तक कार्य आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है? उक्त कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा और लिंक रोड कब तक बन जाने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

96--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

(5वें बुध में अता0प्र0सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 के महाप्रबन्धकों के कार्य का विभाजन

97--श्री इन्द्रेश विक्रम--

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीश चन्द्र महाप्रबन्धक मुख्यालय, राजकीय निर्माण निगम को मुख्यालय के कार्य के अतिरिक्त लखनऊ स्थित निर्माण इकाईयों का कार्य भी सौंपा गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित तीन अन्य महाप्रबन्धक जो केवल निर्माण कार्य के लिए ही नियुक्त है को किन कारणों से कार्यों का समान वितरण नहीं किया गया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी हां।

निगम में निर्माण कार्यों के लिए नियुक्त लखनऊ में तीन अन्य महाप्रबन्धकों के मध्य लखनऊ नगर तथा लखनऊ के बाहर प्रदेश के अन्य नगरों में कार्यरत अन्य इकाईयों के निर्माण कार्य विभाजित किए गए हैं। महाप्रबन्धकों के बीच निर्माण कार्यों का विभाजन उनके कार्य क्षेत्र के विस्तार के अनुसार तथा प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से किया गया है जिसके कारण महाप्रबन्धकों के कार्यभार में पूर्णतः समानता होना संभव नहीं है।

निर्माण निगम के वरिष्ठ लेखाकारों के वेतन विसंगति हेतु एजेन्डा प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी कथित आदेश

98--श्री इन्द्रेश विक्रम--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण निगम में वरिष्ठ लेखाकारों का, द्वितीय वेतन आयोग द्वारा विशेष वेतन समाप्त करके उच्च वेतन देने का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सितम्बर, 89 के आस-पास सचिव, वित्तीय परामर्शदाता तथा प्रबन्ध निदेशक, निर्माण निगम ने एक बोर्ड एजेन्डा अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु श्री हरिशचन्द्र महाप्रबन्धक मुख्यालय को दिया था? यदि हां, तो श्री हरिशचन्द्र महाप्रबन्धक मुख्यालय के द्वारा आठ माह व्यतीत होने के बाद भी उक्त एजेण्डा बोर्ड की मीटिंग में न रखे जाने का क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिका क्षेत्र में नवनिर्मित पुलों पर पथकर वसूलने की नीति

99—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका क्षेत्र में नवनिर्मित पुलों पर पथकर वसूलने के क्या नियम है? क्या मंत्री जी इलाहाबाद में गंगा नदी पर नवनिर्मित पुल से गुजरने वाली हल्की चार, तीन व दो पहिया गाड़ियों को पथकर से मुक्त करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

पथकर वसूली अधिसूचना संख्या 2174/23 सा0नि0दो-62/76 दिनांक 2 जून, 1976 के अनुसार यदि नगरपालिका सीमा के अन्दर कोई ऐसा नया पुल बनाया जायेगा जो 21 जुलाई, 1956 के पूर्व बनाये गये किसी पुल के स्थान पर न बनाया गया हो तो उस पर पथकर देय होगा। वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कथित प्रस्ताव

100—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और कब तक लागू हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्या उ0 प्र0 सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गौरव गरिमा तथा उपलब्धियों पर विचार करते हुए केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव भेजने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

101—श्री अतीक अहमद—

(7 वें सोम के लिए स्थगित)

लखनऊ जिला-परिषद् के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी श्री श्याम किशोर जेटली के स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन

102—श्री अतीक अहमद—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगी कि शासन द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में यह नीति निर्धारित की गयी है 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान एवं पद पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को तत्काल किसी अन्य जनपद/स्थान में स्थानान्तरित कर दिया जाये? यदि हां, तो 7 वर्ष से भी अधिक समय से लखनऊ जिला परिषद् में

अतिरिक्त मुख्य अधिकारी (श्री जेटली) का स्थानान्तरण लखनऊ मंडल के बाहर किसी जनपद में करने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्या उन्हें उनके मूल विभाग को यथाशीघ्र वापस दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग से जिला परिषद् लखनऊ में वर्ष 1982 से अपर मुख्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात श्री श्याम किशोर जेटली के अन्यत्र स्थानान्तरण एवं इन्हें इनके पैतृक विभाग (ग्राम्य विकास विभाग) में वापसी का मामला विचाराधीन है।

103—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक—

(7वें गुरू में अता0प्र0सं0 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा प्रदेश के स्वीकृत पुलों पर कार्य की प्रगति

104—श्री अनिल कुमार भारद्वाज तथा अमरमणि—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे, कि वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में, प्रदेश में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा कितने पुलों का निर्माण कराया जा रहा है? कितने पुलों का निर्माण कार्य धनाभाव व अन्य कारणों से अवरूद्ध है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिसम्बर, 1989 में अब तक कितने पुल जनपद बाराबंकी फतेहपुर व इटावा में जनपदवार निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये हैं? क्या उक्त जनपदों में भी धनाभाव से निर्माण कार्य अवरूद्ध हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1989-90 में राज्य सेतु निगम द्वारा प्रदेश में कुल 100 पुलों पर निर्माण कार्य प्रगति में रहा जिनमें 36 पुलों का निर्माण उक्त वर्ष में पूर्ण किया गया। वर्ष 1990-91 में अब तक कुल 74 पुलों पर निर्माण कार्य प्रगति में है। धनाभाव न अन्य कारणों से कुल 84 पुलों का निर्माण कार्य सेतु निगम द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। जिन पुलों पर कार्य प्रगति में है वह भी सामान्यतः धीमी गति से हो रहा है। दिसंबर, 1989 के बाद जनपद बाराबंकी में 7 पुल तथा इटावा में 8 पुल निर्माण हेतु स्वीकृत हुये हैं। फतेहपुर जनपद में उक्त अवधि में कोई पुल स्वीकृत नहीं हुआ है। जनपद फतेहपुर में एक तथा इटावा में 8 पुलों का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

इण्टर कालेज सिरौली (बरेली) में शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में नकल की शिकायत पर जांच

105—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इण्टर कालेज सिरौली (बरेली) में इस वर्ष शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की शिकायत मिली है? यदि हां, तो नकल कराने के लिए दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी---

जी हां।

सम्प्रति नकल करने वाले परीक्षार्थियों को आरोपित किया गया है। जांच पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

प्राइमरी पाठशाला भगौतीपुर व पिडंराई तथा जाठी (वाराणसी) के जर्जर भवन को बनाने की मांग

106—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 भगौतीपुर व पिंडराई तथा जाठी, भानपुर ब्लाक पिडंरा जिला वाराणसी भवनहीन है और भगौतीपुर तथा पिंडराई की पुरानी कच्ची इमारत ध्वस्त हो चुकी है? यदि हां, तो इन स्कूलों को भवनहीन मानकर सरकार प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द भवन बनवाने हेतु धन उपलब्ध करायेगी और स्थान औदार ब्लाक पिंडरा वाराणसी में एक जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

जी नहीं।

भवन ध्वस्त नहीं हुये हैं, बल्कि जर्जर अवस्था में हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

निदेशक भूगर्भ जल विभाग के पद पर नियमित चयन की कार्यवाही

107—श्री हृदय नारायण —

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक भूगर्भ जल विभाग का पद कब से रिक्त चल रहा है, एवं दि0 21-12-88 से आज तक निदेशक के पद पर नियमित चयन क्यों नहीं कराया गया? उक्त पद हेतु नियमित चयन कब तक करा लिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

भूगर्भ जल विभाग में निदेशक का पद रिक्त नहीं चल रहा है। निदेशक के पद पर नियमित चयन हेतु प्रक्रिया/मापदण्ड अभी निर्धारित नहीं है। उन्हें निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसे पूर्ण कराने पर नियमित चयन करना संभव होगा।

108—श्री हृदय नारायण—

(5वें मंगल में अता0प्र0सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मेरठ विश्वविद्यालय में परीक्षा हेतु निर्धारण समय एवं प्रक्रिया का अनुपालन

109—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा प्रश्न-पत्रों को बनाने की कोई प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हां, तो क्या उसका वर्ष 1990-91 की परीक्षा के लिए पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

वर्ष 1990-91 की परीक्षा अप्रैल, 91 में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। वर्ष 1989-90 की परीक्षा में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में आवासीय भवनों के आवंटन एवं प्राप्त किराया को जमा किया जाना

110—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो शिक्षकों के आवासीय भवन निर्मित है इनके आवंटन की क्या नीति है तथा आवंटन का अधिकार किसे प्राप्त है? इन भवनों से जो किराया प्राप्त होता है वह महाविद्यालय के किस कोष में जमा किया जाता है तथा उसका प्रयोग किस रूप में होता है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्न में वांछित सूचनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, जो भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान है, को लिखा गया है। वहां से उत्तर अप्राप्त है।

जनपद बलिया में ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में विकास खण्डवार व्यय की गई धनराशि का विवरण

111—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि अपर जिलाधिकारी परियोजना, बलिया ने वर्ष 1988-89 और 1989-90 में जिला विकास अभिकरण का धन विकास खण्डवार बलिया जनपद में कितना खर्च किया है? सरकार आवंटन में आर्थिक असंतुलन पैदा करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

वित्तीय वर्ष 1988-89 एवं 89-90 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में विकास खण्डवार व्यय की गई धनराशि का विवरण

संलग्न है।

धनराशि के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पायी गई। अतः किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 95 पर)

जनपद शाहजहांपुर के तहसील पुवांया में डिग्री कालेज खोलने की मांग

112—श्री चेत राम—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवांया में बच्चों को शिक्षा हेतु कोई भी डिग्री कालेज नहीं है जिस कारण बच्चों को शिक्षा हेतु काफी दूर बाहर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र पुवांया तहसील में एक डिग्री कालेज खोले जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

पुवायां जनपद शाहजहांपुर में कोई डिग्री कालेज नहीं है। सम्प्रति शैक्षिक दृष्टि से औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

113—श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन—

(दि0 25-6-90 को अता0प्र0सं0 149 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश में प्राईमरी विद्यालय खोले जाने हेतु शासन की नीति

114—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी विद्यालय खोलने के शासन द्वारा मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित है? यदि हां, तो इन मानकों के अनुसार 1 मई, 1990 तक असेवित क्षेत्रों के लिए कितने नये विद्यालयों की आवश्यकता है? असेवित क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन कोई ठोस कार्यवाही कर रहा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

14829 नये विद्यालयों की आवश्यकता है।

जी हां।

आठवीं योजना के अन्तर्गत नये प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। योजना के अंतर्गत वर्ष 90-91 में 2362 प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर के ग्राम मसूरगंज व बहरामपुर में गांव पटाई हेतु उपलब्ध खाद्यान्न भोजन में की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

1115—श्री शिव प्रताप शुक्ला—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि मार्च, 88 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोरखपुर के विकास खण्ड पनियरा में ग्राम–मसूरगंज व बहरामपुर में गांव पटाई हेतु उपलब्ध खाद्यान्न को सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा ऊँचे दामों में बाजार में बेचे जाने से संबंधित तार नगर अध्यक्ष (जनता पार्टी) ने शासन को मार्च, 88 में भेजा था, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने तुरन्त क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

इस प्रकरण के विषय में जांच चल रही है तथा इससे संबंधित एक अवर अभियंता को निलम्बित किया जा चुका है।

श्री वीरेन्द्र मोहन अग्रवाल, प्रधानाचार्य एस0 आर0 एम0 इण्टर कालेज बीसलपुर (पीलीभीत) का कथित रूप से अनियमित सेवानिवृत्ति

1116—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री वीरेन्द्र मोहन अग्रवाल प्रधानाचार्य एस0 आर0 एम0 इण्टर कालेज बीसलपुर जनपद पीलीभीत को जून 89 में प्रबन्धकों द्वारा अनियमित रूप से सेवानिवृत्ति कर दिया गया था? यदि हां, तो श्री अग्रवाल को अपना कार्यकाल पूरे होने न देने के क्या कारण थे? उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने के लिए दोषी व्यक्ति एवं अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

1117—श्री हनुमन्त सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11–5–90 जो जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा के भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में था पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक–2) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

118—श्री पंचानन राय—

(6वें शुक्र में अता0प्र0सं0 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद आजमगढ़ के महूला गढ़वल बांध को पक्की सड़क में परिवर्तित करने सम्बन्धी पत्र

119—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में महूला गढ़वल बाँध को पक्की सड़क में परिवर्तित करने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-2-90 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां। प्रश्नगत पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1990 को सचिव, सिंचाई विभाग को भेजा गया है।

लघु सिंचाई विभाग में रिंगवोर कराने पर किसानों के अनुदान लागत पर छूट को बढ़ाने का मामला विचाराधीन

120—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसानों द्वारा लघु सिंचाई विभाग से रिंगवोर कराने में अनुदान लागत पर पचास प्रतिशत तथा अधिकतम तीस हजार की छूट सन् 84 से मिल रही है? क्या यह सही है कि इस बीच लागत दुगुनी से ऊपर बढ़ गई है फलस्वरूप किसानों को लागत का पचास प्रतिशत अनुदान नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार की छूट की अधिकतम सीमा 30 हजार से बढ़ाकर मौजूदा लागत का पचास प्रतिशत अनुदान बांदा जैसे क्षेत्रों को देखते हुए, देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

जी हां।

जी हां।

यह विषय विचाराधीन है। आशा है शीघ्र निर्णय हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

121—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

(6वें मगंल में अता0प्र0सं0 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

गोरखपुर के लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा भुगतान किये गये धन का विवरण

122—श्री अमर मणि—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में

गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा 15-3-90 से 31-3-90 तक अलग-अलग कितनी राशि का भुगतान किया गया?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वित्तीय वर्ष 1989-90 में गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा दिनांक 15-3-90 से 31-3-90 तक 302.40 लाख रू0 का भुगतान किया गया जिसका अलग-अलग विवरण निम्नवत् है:—

खण्ड का नाम	किया गया भुगतान (लाख रू0 में)
1- प्रांतीय खंड, लो0नि0 विभाग, गोरखपुर।	49.62
2- अस्थायी खण्ड, लो0नि0 विभाग, गोरखपुर।	45.09
3- निर्माण खण्ड, लो0नि0 विभाग, गोरखपुर।	37.29
4- विभागीय निर्माण इकाई, लो0नि0 विभाग, गोरखपुर।	49.23
5- विभागीय निर्माण इकाई (रा0मा0) लो0नि0 विभाग, गोरखपुर।	116.82
6- विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लो0नि0 विभाग, गोरखपुर।	4.35

बरेली के शेरगढ़ ब्लाक में सड़कों एवं पुलियों आदि के बनवाने में की गई अनियमितता के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज

123—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को पता है कि बरेली के शेरगढ़ ब्लाक के अन्तर्गत चार सड़कों, सात पुलियों तथा चार गावों में स्थल विकास के फर्जी कार्य दिखाकर लाखों का गबन किया गया जिसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी ने की और जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी थी? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी के आदेश के अन्तर्गत 22-4-90 को थाना शेरगढ़ में नामजद रिपोर्ट अवर अभियन्ता तथा एकाउन्टेन्ट के विरूद्ध लिखाई गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रारम्भिक जांच के आधार पर दिनांक 21-4-90 को सम्बन्धित अवर अभियंता एवं एकाउन्टेन्ट के विरूद्ध थाना शेरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिस पर पुलिस द्वारा अग्रेतर जांच की जा रही है।

जनपद खीरी के दुधवा राष्ट्रीय पार्क से जलौनी लकड़ी एवं पट्टे आदि दिये जाने सम्बन्धी कथित आदेश की जानकारी

124—श्री छोटे लाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित बेलरायां रेलवे स्टेशन पर कुछ मांगों को लेकर अनशन कर रहे लोगों के बीच दिनांक 6 फरवरी, 1990 को वन मंत्री गये थे? यदि हां, तो मंत्री जी ने वहां पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क से कथित जलौनी लकड़ी लाने व वन भूमि का पट्टा किसानों को दिये जाने के कोई आदेश दिये थे? यदि

हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां।

जी नहीं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क से जलौनी लकड़ी तथा वन भूमि का पट्टा दिये जाने से सम्बन्धित कोई आदेश नहीं दिये गये थे, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर इस प्रकार की कार्यवाही वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा 33 (6) के अनुसार वर्जित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहांपुर के कार्यालय में लम्बी अवधि से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं उनके स्थानान्तरण की नीति

125—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहांपुर के कार्यालय में 10 वर्ष की अवधि से अधिक कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या 10 वर्ष की अवधि से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

दो

प्रशासनिक आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जाता है। विभाग की परिवर्तित नीति के अनुसार बीस वर्षों से अधिक ठहराव पर जनपद से बाहर स्थानान्तरण होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

126—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार बारह वर्षों से एक ही जगह कार्यरत हैं? क्या विभागीय एवं शासकीय निर्देशों के अनुरूप सरकार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

दो।

प्रशासनिक आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जाता है। विभाग की परिवर्तित नीति के अनुसार बीस वर्षों से अधिक ठहराव पर जनपद के बाहर स्थानान्तरण होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद बाराबंकी, तहसील रूदौली के ग्राम कसारी में खड़न्जा बनवाने हेतु दी गई कथित धनराशि का विवरण

127—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1986 में ग्राम कसारी परगना मवई तहसील–रूदौली, जनपद बाराबंकी में सड़क खड़न्जा लगवाने हेतु दी गई रूपया (पांच हजार) की धनराशि को बिना खडंजा लगवाये ही तत्कालीन ग्राम प्रधान ने हड़प कर लिया है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर प्रभारी कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं।

सम्बन्धित प्रधान को उक्त धनराशि न दिये जाने के स्थिति में प्रकरण पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

128—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

(6ठे मंगल में अता0प्र0सं0 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा मुहम्मदपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में की गई अनियमितता सम्बन्धी शिकायत पर जांच

129—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा महमदपुर परगना–खन्डासा तहसील–बीकापुर जिला फैजाबाद को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से लगभग पांच हजार रूपये सड़क पर खड़ंजा लगवाने में व्यय करके, शेष धनराशि उक्त ग्राम सभा के ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं ले ली गयी है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर ग्राम प्रधान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में जांच खण्ड विकास अधिकारी अमानीगंज से करायी जा रही है।

जनपद आजमगढ़ तहसील सगड़ी के ग्राम उरदिहा के सम्पर्क मार्ग को जोड़े जाने में तकनीकी कठिनाई

130—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम उरदिहा तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ 1500 से अधिक आबादी का गांव है? क्या इसे सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12–2–90 अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

ग्राम उरदिहा घाघरा नदी के नदी के पेटे में है जहां सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना तकनीकी दृष्टि एवं वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुये संभाव्य नहीं है।

महुला-गढ़वल बांध से देवाराखास राजा तक निर्मित मार्ग पर पुलिया के निर्माण की मांग

131—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महुला-गढ़वल बांध से देवाराखास राजा तक निर्मित मार्ग पर पुलिया के निर्माण के अभाव में प्रयोग न होने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-2-90 अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर पुलिया का निर्माण जिला सेक्टर का कार्य है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

राज्य सेतु निगम के घाटे की समीक्षा हेतु समिति के गठन के आश्वासन की जानकारी तथा घाटे के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

132—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सेतु अभियन्ता एसोसियेशन के प्रतिनिधि मंडल से दिनांक 5-2-90 को मंत्री जी से वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने सेतु निगम में हुए घाटे की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो क्या उक्त समिति गठित की गयी? क्या घाटे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सेतु अभियन्ता एसोसियेशन के प्रतिनिधि मंडल से दिनांक 5-2-90 को वार्ता हुई थी परन्तु उसमें राज्य सेतु निगम में किसी घाटे की समीक्षा हेतु समिति के गठन का आश्वासन नहीं दिया गया था। राज्य सेतु निगम में गत वर्षों में घाटा नहीं हुआ है अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर अंदर झंगहा से बोहाबार और झंगहा से राजधानी होते मटियराघाट व नई बाजार से इटैवा होते जगपुर तक की सड़क का सर्वेक्षण एवं पिच कराने की मांग

133—श्री जगदीश लाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर अंदर झंगहा से बोहाबार और झंगहा से राजधानी होते मटियराघाट व नई बाजार से इटौवा होते जगपुर तक की सड़क को सर्वेक्षण कराकर पुल-पुलिया व सड़क को पिच

कब तक कराया जायेगा? क्या इस संबंध में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर का कोई पत्र शासन को माह फरवरी व मार्च 1990 में प्राप्त हो चुका है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत तीनों मार्गों में से झंगहा से राजधानी–मटियरा घाट की पूरी लम्बाई 9 कि0मी0 में से प्रथम 3 कि0मी0 मार्ग लेपित है तथा नई बाजार से झटौवा होते हुये गजपुर तक मार्ग की कुल लम्बाई 16 कि0मी0 में से प्रथम 3 कि0मी0 भाग लेपन हेतु स्वीकृत है। झंगहा बोहाबार मार्ग की कुल लम्बाई 13 कि0मी0 में कोई भी भाग लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है। शेष भागों को लेपन कराया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है। झंगहा से बोहाबार मार्ग पर गोर्रा नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रश्नगत पत्र लोक निर्माण विभाग के किसी सम्बन्धित अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुपुरा मटियारा में सामुदायिक विकास केन्द्र का कार्य पूर्ण न कराया जाना

134—श्री जगदीश लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुपुरा मटियारा में सामुदायिक विकास केन्द्र जो वर्ष 1988 से बनाया जाना प्रारम्भ किया गया था अब तक नहीं बन पाया है जिसकी शिकायत श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व सांसद व विधायक गोरखपुर ने सी0 डी0 ओ0 गोरखपुर क्षेत्र माह फरवरी व मार्च 1990 में की है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं है। कार्य को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा मामले में लापरवाही दिखाने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ से शाहजहांपुर तक के राज मार्ग सं0 25 को चौड़ा किया जाना

135—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज मार्ग 25 को लखनऊ से शाहजहांपुर तक चौड़ा किया जाना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

लखनऊ से शाहजहांपुर के बीच राज मार्ग सं0–25 के निम्नलिखित मार्गों को पहले ही चौड़ा किया जा चुका है:—

कि0मी0 95 से कि0मी0 102 कि0मी 120 से कि0मी0 127 कि0मी0 160 से कि0मी0 163 कि0मी0 166 से कि0मी0 175 कि0मी0 236 से कि0मी0 238 कि0मी0 243 से कि0मी0 267.21 उक्त मार्ग के कि0मी0 225 से 235 एवं कि0मी0 239 से कि0मी0 242 को चौड़ा करने की स्वीकृति भी 24 मार्च 90 को दी जा चुकी है। मार्ग के शेष भाग की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

सेवाश्रम हायर सेकेण्ड्री स्कूल काजी कल्यानपुर जिला सीतापुर में सी0टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों को नया वेतनमान दिया जाना

136—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवाश्रम हायर सेकेण्ड्री स्कूल काजी कल्यानपुर जिला सीतापुर में सी0 टी0 वेतनक्रम के ऐसे कौन-कौन अध्यापक हैं जिनको नये वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं हो सका है? उनका वेतन निर्धारण न होने का क्या कारण है और उसे कब तक करा दिया जायेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कस्बे बढ़नी में सा0नि0वि0 में मेट के पद पर कार्यरत श्री सतीश कुमार वर्मा की हत्या के बाद उनकी विधवा श्रीमती ऊषा को नौकरी में लिए जाने की मांग

137—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ऊषा देवी के पति श्री सतीश कुमार वर्मा जो कस्बा बढ़नी गोंडा जनपद में सा0नि0वि0 में मेट के पद पर कार्यरत थे की वर्ष 86 में ड्यूटी पर हत्या कर दी गयी थी? क्या उनके स्थान पर श्रीमती ऊषा ने नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्ति कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

जी नहीं। श्री सतीश कुमार वर्मा ने आत्महत्या की थी।

जी हां।

जी नहीं। मृतक श्री सतीश कुमार वर्मा दैनिक वेतन पर कार्यरत थे। ऐसे कर्मचारी "उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" की परिधि में नहीं आते।

जनपद बिजनौर में मालन नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

138—श्री सुखवीर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिजनौर में ग्राम रावली जनपद बिजनौर में मालन नदी पर पुल बनाने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बनाकर तैयार कर दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

कार्य स्वीकृत नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी० डी० राय, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सा० नि० वि० देवरिया द्वारा अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध कार्यालय में किये गये अभद्र व्यवहार के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग

139—श्री हरवंश सहाय—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी० डी० राय, सहायक अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, सा० नि० वि०, देवरिया ने दिनांक 15-1-90 को अपने अधिशासी अभियंता के विरूद्ध कार्यालय में ही अभद्र व्यवहार किया था? यदि हां, तो क्या श्री राय के विरूद्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 के अन्तर्गत निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि की जाएगी, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

जी नहीं, प्रशासनिक आधार पर श्री राय का स्थानान्तरण अकार्यकारी पद पर देवरिया से बाहर झांसी तुरन्त कर दिया गया। आरोपों की गम्भीरता के अनुरूप कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी० डी० राय सहायक अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड सा० नि० वि० देवरिया द्वारा फर्जी यात्रा, गिट्टी आपूर्ति की फर्जी चेकिंग के सन्दर्भ में अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग

140—श्री हरवंश सहाय—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि श्री सी० डी० राय सहायक अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, सा० नि० वि०, देवरिया ने दिनांक 30-9-89 को सोहनपुर-बनकूटा मार्ग के कि०मी० 2 में फर्जी यात्रा दिखाकर ईट की गिट्टी की आपूर्ति की मापी का फर्जी चेकिंग किया था जबकि ईट की गिट्टी की कुटाई दिनांक 10-9-89 को ही समाप्त हो चुकी थी? यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि की जाएगी, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

141—श्री हृदय नारायण—

(7वें मंगल में अता0प्र0सं0 98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में श्री जगदीश तिवारी का वर्ष 1986 की शास्त्री द्वितीय खण्ड की परीक्षा में विभागीय अनुमति के बिना सम्मिलित होना

142—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से वर्ष 1986 की शास्त्री द्वितीय खण्ड में सम्मिलित हुए बगैर श्री जगदीश तिवारी अनुक्रमांक-14216 को उक्त वर्ष की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण का अंक-पत्र प्रदान किया गया है जबकि वर्ष 1986 की शास्त्री द्वितीय खण्ड की परीक्षा दिनांक 10-7-86 से दिनांक 19-7-86 तक प्रातः 7 बजे से 10 बजे के बीच चली है और श्री तिवारी इन परीक्षा की तिथियों में प्रातः 7 बजे से 10 बजे के बीच उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मच्छोदरी वाराणसी में उपस्थित रहकर अध्यापन कार्य किए हैं? यदि हां, तो उन्हें उक्त अंक पत्र किस प्रकार प्राप्त हुआ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

श्री जगदीश तिवारी के वर्ष 1986 की शास्त्री द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त ही अंक-पत्र प्रदान किया गया है।

जी हां।

श्री तिवारी दिनांक 10-7-86 तथा 11-7-86 को आकस्मिक अवकाश पर थे। 12 से 19-7-86 तक विद्यालय में उपस्थिति अंकित है।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में शास्त्री प्रथम व द्वितीय खण्ड में वर्ष 1985-86 में परीक्षा हेतु विभाग से श्री जगदीश तिवारी द्वारा अनुमति न लिया जाना

143—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री तिवारी बिना विभागीय पूर्व अनुमति के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की वर्ष 1985-86 की शास्त्री प्रथम तथा द्वितीय खण्ड (अनुक्रमांक-6708 तथा 14216) की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे? यदि हां, तो उनके द्वारा विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक नहीं थी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

144–डा0 दिनेश जौहरी—

(6वें शुक्र में अता0प्र0सं0 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टर तथा हाईस्कूल की परीक्षा 1990 के प्रारम्भ होने से एक माह पूर्व परिवर्तित किये गये परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

145—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टर तथा हाईस्कूल की परीक्षा 1990 के प्रारम्भ होने की तिथि से एक महीने के अंदर कितने केन्द्र परिवर्तन किए गए? इस अवधि में कितने ऐसे विद्यालयों में नये केन्द्र बनाये गये जो केन्द्र बनाये जाने के लिए अनर्ह घोषित किए गए थे? इन्हें केन्द्र बनाये जाने का क्या औचित्य है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

एक

एक

राणा वेनी माधव सिंह स्मारक इण्टर कालेज, शंकरपुर, रायबरेली विद्यालय की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट संस्थागत छात्राओं का केन्द्र 15 किलोमीटर दूर सर्वोदय विद्यार्थी इण्टर कालेज सलोन, रायबरेली निर्धारित हो जाने से छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने से उत्पन्न होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान किये जाने की दृष्टि से जनहित में इस विद्यालय को नवीन केन्द्र बनाया गया था।

धर्म समाज कालेज अलीगढ़ की आडिट आख्या विलम्ब से निदेशालय से भेजा जाना

146—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धर्म समाज कालेज अलीगढ़ का विशेष आडिट उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा कराये जाने की अवधि एक वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा इसकी जांच आख्या अनुपालन हेतु महाविद्यालय को नहीं भेजी गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

आडित आख्या अनुपालन हेतु निदेशालय के पत्र दिनांक 7–7–1990 द्वारा महाविद्यालय को भेजी जा चुकी है। तत्कालीन वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी उच्च शिक्षा से आख्या अनुमोदित होने में विलम्ब हुआ जिसके संबंध में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जनपद आजमगढ़ में छोटी सरयू पर ग्राम महरौली अखईपुर विकास खण्ड हरैया के पास पुल तथा सम्पर्क मार्ग हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

147—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में छोटी

सरयू पर ग्राम महरौली अखईपुर विकास खण्ड हरैया के पास पुल तथा सम्पर्क मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-2-90 जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जिलाधिकारी को सम्बोधित उक्त पत्र लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम चकलालचन्द्र तहसील सगड़ी में जवाहर योजना के अन्तर्गत चकरोड की पैमाइस हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

148—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-2-90 के साथ जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन चकरोड में अवरोध पैदा करने से संबंधित ग्राम चकलालचन्द्र तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के निवासियों का पत्र परगनाधिकारी सगड़ी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

ग्राम चकलालचन्द्र तहसील सगड़ी में प्रश्नगत चकरोड की पैमाइश दिनांक 12-3-90 को करायी गयी तथा स्थल पर सीमांकन कराया जा चुका है। अब कोई अवरोध नहीं रह गया है।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा लखनऊ द्वारा सकरा काकोरी मार्ग व नजर नगर मलिहाबाद मार्ग पर सॉलिंग बिछाई का कार्य सम्पन्न कराने में श्रमिकों की मजदूरी को भुगतान न किये जाने की शिकायत

149—श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियंता ग्रा0 अ0 सेवा लखनऊ द्वारा सकरा काकोरी मार्ग व नजर नगर मलिहाबाद मार्ग पर मस्टल रोल के आधार पर श्रीकृष्ण मेट निवासी खजुरमई जिला-हरदोई व उनके साथी श्रमिकों द्वारा सोलिंग बिछाई का कार्य वर्ष 84-85 में किया गया था जिसका भुगतान विभाग द्वारा आज तक श्रमिकों को नही किया गया है? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर तत्कालीन अभियन्ता पी0 के0 बंसल द्वारा पैसा निकाल लिया गया तथा मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया? यदि हां, तो उक्त मजदूरों को कब तक भुगतान करा दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रश्न में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों पर वर्ष 84-85 में सोलिंग बिछाई का कार्य नहीं किया गया है। अतः भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 में लगे इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों की संख्या तथा इन्हें कहां लगाया गया इत्यादि की जानकारी

150—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में कुल कितने इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर है? इन्हें किस-किस फर्म से कब-कब किस दर पर खरीदा गया है? इन्हें कहां-कहां संस्थापित कराया गया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में सात इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर हैं। वांछित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 96 पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में शासन द्वारा जारी किए गये मितव्ययता बानने सम्बन्धी आदेशो के अनुपालन की जानकारी

151—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में वर्ष 1989-90 में की गई अनावश्यक नयी नियुक्ति एवं फिजूलखर्ची के कारण निगम घाटे में आ गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा दिसम्बर, 1989 से मई 1990 तक फिजूलखर्ची रोकने हेतु निर्माण निगम में क्या-क्या कदम उठाये गये? इसके क्या-क्या परिणाम अब तक सामने आये है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

निगम में शासन द्वारा जारी किए गए मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का पालन किया गया है जिसके कारण व्यय में मितव्ययता हुई है।

रनावा चौकी से कटेहरी रोड पर थिरूआ नाला ग्राम अचलूपुर जनपद फैजाबाद पर पुल बनाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

152—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 13 फरवरी, 90 जो रमावा चौकी से कटेहरी रोड पर थिरूआ नाला ग्राम अचलूपुर जनपद-फैजाबाद पर पुल बनाने के बावत था, प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या पुल बनना प्रस्तावित है और उसे बनाये जाने का आदेश दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

प्रश्नगत पुल जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है जिसकी स्वीकृति जिला

नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सोनभद्र में ग्राम सभा मुडिलाडीह में राजकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव

153—श्री गुलाब सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मुडिलाडीह जनपद सोनभद्र में कोई राजकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत है? यदि हां, तो यह कब तक खुलेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि राजकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

शहीद इण्टर कालेज मधुवन जनपद मऊ के प्रधानाचार्य पर अवैधानिक कार्यों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग

154—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद इण्टर कालेज मधुवन जनपद मऊ के प्रधानाचार्य को प्रबंधतंत्र से उनके अवैधानिक कार्यों के कारण निलम्बित और सेवामुक्त कर उनका मामला शिक्षासेवा आयोग को आगे कार्यवाही के लिए भेज दिया है? यदि हां, तो इस संबंध में आयोग ने क्या कार्यवाही की?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरडीहा में हाईस्कूल परीक्षा 1989 के अंक-पत्र छात्रों को न उपलब्ध कराया जाना

155—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श उ0 मा0 विद्यालय बरडीहा जनपद-आजमगढ़ के हाई स्कूल परीक्षा 1989 के अंक पत्र अभी तक छात्रों को उपलब्ध नहीं कराये गये है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? इस संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-2-90 पर क्या कार्यवाही की गयी है? छात्रों को अंक पत्र कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

कारण निम्नलिखित है:—

(1) उक्त विद्यालय में 1989 के 35 परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क, प्राप्तांक शुल्क का कोषपत्र तथा स्मारिका का प्राप्त न होना।

(2) अमान्य विषय पढ़ाये जाने के फलस्वरूप परीक्षार्थियों से अमान्य शुल्क का कोष पत्र प्राप्त न होना।

(3) फर्जी प्रवेश सम्बन्धी शिकायत पर जांच आख्या प्राप्त न होना।

(4) प्रधानाचार्य द्वारा समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों के अध्ययन विवरण का उल्लेख न होना।

निम्नलिखित कार्यवाही की गई:—

(1) प्रधानाचार्य आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यलय बरडीहा, आजमगढ़ के कार्यालय अभिलेखों के संबन्ध में स्थलीय जांच हेतु दिनांक 16-4-90 को जांच समिति भेजी गई, किन्तु पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण जांच कार्यवाही संपन्न न हो सकी। परिषद् कार्यालय के पत्र दिनांक 26-5-90 द्वारा उक्त परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क, प्राप्तांक शुल्क, अमान्य विषय शुल्क के कोष पत्र की मांग की गई तथा समस्त अभिलेख वर्तमान प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराने के लिए सूचित किया गया। किन्तु अद्यतन कोई सूचना परिषद् कार्यालय को अद्यावधिक प्राप्त नहीं हुई।

संबन्धित विद्यालय द्वारा उक्त प्रतिबन्धों की पूर्ति कर दिये जाने पर तत्काल अंक पत्र प्राप्त करा दिये जायेंगे।

जनपद फैजाबाद के श्री दशरथ आदि मालियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

156—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 फरवरी, 90 व 31 मार्च, 90 व 16 अप्रैल, 90 जो दशरथ आदि मालियों जनपद फैजाबाद के नियमितीकरण के बाबत था, प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या उन लोगों को नियमित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक नियमित किया जायेगा?

श्री मोहम्मद असलम खां—

श्री दशरथ आदि मालियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ था। दैनिक वेतन पर कार्यरत मालियों आदि को नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद फर्रूखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के ग्राम निविया के श्री राधेश्याम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम निवास त्रिपाठी द्वारा ग्राम समाज की सम्पत्ति तथा जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धन को निजी हित में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री सौदान सिंह यादव उप प्रधान के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

157—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सौदान सिंह यादव उप प्रधान आदि ग्राम सभा निविया, विकास खण्ड राजेपुर, जनपद-फर्रूखाबाद का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक प्रार्थना-पत्र उक्त ग्राम सभा के प्रधान श्री राधेश्याम

मिश्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम निवास त्रिपाठी द्वारा ग्राम समाज की सम्पत्ति तथा जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धन की निजी हित में उपयोग किये जाने के संबंध में फरवरी, 1990 में जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां।

जांच के पश्चात् ग्राम प्रधान के विरूद्ध आंशिक आरोप सही साबित हुए फलस्वरूप ग्राम प्रधान को नोटिस जारी की गई। ग्राम प्रधान का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है। जिस पर विकास खण्ड के अवर अभियन्ता द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है।

जनपद फर्रूखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर मार्ग से बरूआ तक मिट्टी का कार्य पूर्ण न कराने से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

158--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विकास खण्ड राजेपुर जनपद-फर्रूखाबाद के अन्तर्गत राजेपुर मार्ग से साधन सहकारी समिति लि० बरूआ तक स्वीकृत 3 कि०मी० सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य अब तक ग्रामीण अभियन्त्राण सेवा, फर्रूखाबाद द्वारा पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-3-90 जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कार्य पूर्ण कराया गया? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां।

कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मामले में जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं।

159--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

(7वें सोमवार के लिए स्थगित)

जनपद फर्रूखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में स्वीकृत प्राइमरी स्कूल तथा जू०हा० स्कूल के निर्माण में विलम्ब करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

160--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विकास खण्ड राजेपुर जनपद-फर्रूखाबाद में स्वीकृत प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्राण सेवा द्वारा न कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-1-90 जिलाधिकारी फर्रूखाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां।

निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। विलम्ब के कारणों के संबंध में जांच कराई जा रही है और दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

टाऊन एरिया खुटार में स्थित जू.हा. स्कूल को उच्चीकृत किये जाने की मांग

161--श्री चेतराम--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी के पत्र दिनांक 30-6-89 सी0 एम0 बी0 को0 एम-4/17-192/व 89 जो टाउन एरिया खुटार में स्थित जू0 हा0 स्कूल को उच्चीकृत किए जाने के बारे में था, के संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार उपरोक्त जू0 हा0 स्कूल को शीघ्र उच्चीकृत किए जाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों को उच्चीकृत किये जाने का कोई नियम न होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि कोई नियम नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विकासखण्ड मया में नि:शुल्क बोरिंग योजना में व्याप्त गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषी लोगों को दण्डित करने की मांग

162--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबद के विकास खण्ड मया में पिछले चार वर्षों में नि:शुल्क बोरिंग के कितने ऐसे मामले हैं जिनमें आज तक लाभार्थियों को मजदूरी और छूट का पैसा नहीं मिला है? क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्य विकास खण्डों में बड़े पैमाने पर इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है और काफी मामलों में लाभार्थियों को पाइप के अलावा नि:शुल्क बोरिंग के नाम पर और कुछ भी नहीं मिला है? यदि हां, तो सारे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने तथा सभी लाभार्थियों को मजदूरी और छूट का पैसा समेत सारा देय धन शीघ्र दिलाने में क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जनपद फैजाबाद में नि:शुल्क बोरिंग कार्यक्रमान्तर्गत वर्ष 1986-87 से 89-90 तक विगत चार वर्षों में 55 मामलों में भुगतान की औपचारिकतायें अवशेष होने के कारण मजदूरी का भुगतान शेष है। वर्ष 88-89 एवं 89-90 के 26 मामलों में अनुदान समायोजन की सूचना संबन्धित बैंकों से आना शेष है।

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्य विकास खण्डों में लाभार्थियों को यथातिथि कोई अनुमन्य देय शेष नहीं है। विकास खण्ड मया में अवशेष मजदूरी

का भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के प्राइमरी पाठशाला कुर्मीडीहा के प्रधान अध्यापक स्व0 श्री राजबहादुर सिंह के आश्रितों को नौकरी देने के सम्बन्ध में डा. संजय सिंह के पर कृत कार्यवाही

163—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा0 संजय सिंह, प्रधान महासचिव, जनता दल उ0 प्र0 का शिक्षा मंत्री उ0 प्र0 को सम्बोधित दिनांक 15 मार्च, 90 का पत्र जिसमें स्वर्गीय राजबहादुर सिंह प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला कुर्मीडीहा शिक्षा क्षेत्र कटेहरी जिला फैजाबाद के आश्रितों को नौकरी देने का अनुरोध किया गया है, मिल गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

प्रश्नगत अभ्यर्थी को मृतक आश्रित की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

164—डा0 दिनेश जौहरी—

(7वें सोमवार के लिए स्थगित)

जनपद गोरखपुर स्थित अयोध्यादास राजकीय इण्टर कालेज हेतु फर्नीचर की मांग

165—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या शिक्षा मंत्री गोरखपुर में अयोध्या दास राजकीय इण्टर कालेज की छात्राओं के बैठने हेतु कुर्सी, डेस्क आदि का प्रबन्ध करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

हां।

फर्नीचर क्रय हेतु प्रत्येक वर्ष धन आवंटित किया जाता है। सभी छात्राओं के लिये फर्नीचर की व्यवस्था शनैः शनैः ही सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के असेना प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक स्व. श्री साहब दयाल की पत्नी की पारिवारिक पेंशन बन्द करने का औचित्य

166—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के असेना प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक स्वर्गीय साहब दयाल की सेवा अवधि के दौरान सन् 1975 में मृत्यु हो गयी थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा श्रीमती चन्द्रकला को मात्र 30/- (तीस) रूपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मिलती थी? यदि हां, तो पिछले वर्षों से उक्त पेंशन बन्द किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी पुनः उन्हें पेंशन दिलाने पर विचार करेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

जी हां।

पारिवारिक पेंशन केवल दस वर्षों तक ही देय होती है।

जी नहीं।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर में कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर पुराने पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ लगाने की मांग

167—श्री गनपति सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड, डी-ब्लाक इन्दिरा नगर, लखनऊ पर लगे पुराने यूकिलिप्टस के पेड़ों को कटवाकर उनके स्थान पर अन्य छोटे पेड़ लगवाने के सम्बन्ध में वहां के निवासियों के सामूहिक प्रार्थना-पत्र को संलग्न करते हुए श्री शारदा प्रताप शुक्ल सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां।

कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड के किनारे लगे पेड़ों में से केवल जीवन या सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न करने वाले पेड़ों को ही कटवाया जाता है। इस समय सभी पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद महराजगंज के ग्राम सभा मन्सूरगंज व मीठौरा में प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण की असत्य सूचना प्रश्नकर्ता को देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

168—श्री गनपति सिंह—

क्य शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मन्सूरगंज व मीठौरा जनपद महराजगंज में नवनिर्मित प्राइमरी स्कूल का भवन बनकर तैयार हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? स्कूल के शिक्षा विभाग द्वारा पूर्ण हो जाने की सूचना प्रश्नकर्ता को माह फरवरी, 1990 के आस-पास दी गयी है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में असत्य सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

ग्रामीण अभियत्रण सेवा द्वारा विलम्ब किया गया है। केवल प्राइमरी स्कूल मिठौरा के पूर्ण होने की सूचना दी गयी थी। जांच के उपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठोस कार्यवाही की मांग

169—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में शिक्षकों की भर्ती, प्रोन्नति एवं दण्ड के मामलों की प्रक्रिया गत कई महीनों से ठप्प पड़ी है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? आयोग के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु शासन कोई ठोस कार्यवाही कर रहा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

कार्य में कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया है। आयोग के सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है। नये सदस्य की नियुक्ति पर विचार हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली स्थित स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ में शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) खोलने की मांग

170—श्री कुवंर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ जनपद चमोली में शिक्षा शास्त्री (बी0 एड0) खोलने हेतु विद्यालय की प्रबन्ध कारिणी समिति एवं क्षेत्रीय जनता के प्रस्ताव जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या शासन वहां शिक्षा शास्त्री (बी0 एड0) खोलने की स्वीकृति देगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्न में उल्लिखित प्रस्ताव वर्ष, 1990 में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक हरैया के ग्राम सभा जोकहरा को दो गांवों में विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

171—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा जोकहरा, ब्लाक हरैया, जनपद आजमगढ़ को दो गांव सभाओं में विभाजित करने से संबधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 मार्च, 90 निदेशक, पंचायत राज उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-3-1990 की प्राप्ति से पूर्व ही ग्राम सभा

जोकहरा को विभाजित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका था और इस आशय की विज्ञप्ति भी निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 1989 को जारी की जा चुकी है।

बृजभाषा अकादमी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

172—श्री रविकान्त गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बृजभाषा अकादमी की स्थापना के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12-1-90 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अकादमी की स्थापना हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में बाजार भोसाई के पास छोटी सरयू पर निर्माणाधीन पुल को पूरा करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

173—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बाजार भोसाई के पास छोटी सरयू पर निर्माणाधीन पुल को पूरा किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4 मई, 90 जिला अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

174—श्री पंचानन राय—

(7वें सोमवार के लिए स्थगित)

175—श्री नजमुद्दीन—

(7वें सोमवार के लिए स्थगित)

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री द्वारा सचिव प्रथम को दिये गये निर्देशों पर कृत कार्यवाही

176—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

शिक्षा मंत्री के प्रश्नकर्ता को सम्बोधित पत्रांक 875/ईएम/90/टी बी0 दिनांक 30-3-90 के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल सचिव, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद का सचिव कुलाधिपति उत्तर प्रदेश को सम्बोधित तथा सचिव, शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 को पृष्ठांकित पत्रांक अ0 वि0/सम्व/2102/1989/90 दिनांक 24-2-90 मिल गया है? यदि हां, तो इस

सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा सचिव प्रथम को दिनांक 28-3-90 को दिये गये निर्देश पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

अवध विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 24-2-90 में उल्लिखित उनका पत्र दिनांक 6-6-89 शासन को प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय से मांगी गई। उक्त स्थिति से दिनांक 26 मई, 1990 को मा0 प्रश्नकर्ता विधायक को भी अवगत करा दिया गया।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी में बागे नदी अथवा रंज नदी पर पुल बनाने की मांग

177—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के करीब बीस गांव जो रंज तथा बाग नदी के मध्य घिरे हैं जिनका बरसात में नदियों के पानी से बाढ़ आ जाने से कई महीनों तक जनपद से सम्बन्ध विच्छेद बना रहता है, के रंज नदी अथवा बागे नदी को पार करने के लिये पुल अथवा रपटा निर्माण की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो वह क्या योजना है तथा कब तक उनका निर्माण हो जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

पुल के निर्माण की स्वीकृति पुल की वरीयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

178—श्री नजमुद्दीन—

(दि0 25-6-90 को अता0प्र0सं0 98 द्वारा उत्तरित)

जनपद महराजगंज में स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इण्टर कालेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्त श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह को वेतन देने विषयक निर्देश

179—श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रायलक्ष्मी नारायण सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 21-6-90 जो गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इण्टर कालेज जनपद महराजगंज में कार्यरत श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह हिन्दी प्रवक्ता पद पर वर्ष 1988 में 40 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? क्या प्रबन्ध समिति द्वारा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमित नियुक्ति तथा प्रवक्ता पद का वेतन स्वीकार नहीं किया गया? क्या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट पिटीशन संख्या 9225 दिनांक 28-2-90 द्वारा स्वीकृत प्रदान किये जाने के पश्चात अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक, महराजगंज तथा प्रबन्ध समिति द्वारा श्री सिंह को नियुक्ति प्रदान कर वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और नियुक्त कब तक कर दी जायेगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रवक्ता वेतनक्रम में वेतन भुगतान का निर्देश दे दिया गया है, किन्तु प्रबन्धक ने उसका पालन नहीं किया है।

प्रबन्धक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है। न्यायालय के अग्रेतर आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा में लीसा उद्योग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग

180—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को पता है कि अल्मोड़ा जिले में लीसा उद्योग में दैनिक मजदूरों ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने हेतु 25-8-89 को जिला अधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय पर धरना दिया था? क्या वन मंत्री जी ने उस समय इनकी मांगें स्वीकार कराने का वायदा किया था? यदि हां, तो उसे पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां।

लीसा मजदूर संगठन के शिष्टमंडल ने तत्कालीन मा0 वन मंत्री जी के अल्मोड़ा जनपद के भ्रमण के समय, दिनांक:27-8-89 को उनसे भेंट की थी, परन्तु मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर में निर्बल आवास व इन्दिरा आवास निर्माण हेतु सप्लाई कार्य के लिए समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित होने की जानकारी

181—श्री विजय सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड म्योरपुर में निर्बल आवास व इन्दिरा आवास निर्माण हेतु एसबेस्टर्स शीट, चौखट, दरवाजे खिड़की आदि की सप्लाई किसने की थी? क्या सप्लाई कार्य के लिये समाचार पत्रों में निविदा दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

182—श्री केदार नाथ सिंह—

(5वें बुधवार में अता0प्र0सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

183—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

(7वें सोमवार में अता0प्र0सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

184—डा0 दिनेश जौहरी—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

185—डा0 दिनेश जौहरी—

(7वें सोमवार के लिए स्थगित)

उ0 प्र0 के क्षेत्रीय विकास युवा कल्याण एवं पंचायती राज सचिव श्री इन्द्र प्रकाश ऐरन का स्थानान्तरण तथा गठित समिति की संस्तुतियों को रद्द करने की मांग

185-अ—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि उ0 प्र0 के क्षेत्रीय विकास युवा कल्याण एवं पंचायती राज सचिव श्री इन्दु प्रकाश ऐरन का स्थानान्तरण 25 अप्रैल, 1990 को आयुक्त, फैजाबाद मण्डल के रूप में कर दिया गया है? क्या यह सही है कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने के पश्चात् 26 अप्रैल, 90 को श्री ऐरन ने एक चयन समिति की आपातकालीन बैठक बुलाकर भूगर्भ जल विभाग के सहायक अभियन्ता श्री हरि भगवान सामवेदी एवं अन्य अधिकारियों को प्रोन्नति किए जाने की संस्तुति की है? यदि हां, तो ऐसे प्रोन्नत अधिकारियों के नाम व पद क्या हैं? ऐसी संस्तुतियों को रद्द करने और श्री ऐरन के विरूद्ध इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं। सचिव, क्षेत्रीय विकास एवं युवा कल्याण श्री इन्दु प्रकाश ऐरन का स्थानान्तरण आदेश आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के पद पर दिनांक 24-4-90 को हुआ था।

जी नहीं। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 26-4-90 को सचिव, क्षेत्रीय विकास एवं युवा कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक चयन समिति की बैठक आहूत की गयी थी जिसमें सचिव के अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य भी सम्मिलित थे। उक्त चयन समिति की कार्यवाही के आधार पर किसी अधिकारी की प्रोन्नति नहीं की गई है। अतः उनके नाम व पद नाम बताने का प्रश्न नहीं उठता है।

उक्त परिस्थितियों में किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

राजकीय इण्टर कालेज, हुसैनाबाद लखनऊ में पुस्तक कला विषय पढ़ाने हेतु उचित अध्यापक की नियुक्ति करने की मांग

186—श्री शिव करन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, हुसैनाबाद, लखनऊ में पुस्तक कला विषय पढ़ाने हेतु पुस्तक कला विषय का योग्य अध्यापक होते हुए अयोग्य अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं? क्या हाई स्कूल एवं इण्टर में उक्त विषय को पढ़ाने हेतु श्री जे0 आर0 यादव स्नातक वेतनक्रम में नियुक्त हैं? यदि हां, तो उनके स्थान पर जूनियर स्तर के अध्यापक से छात्रों को

पढ़ाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग

187—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का जनपद बहराइच में वर्ष 1989 में चयन समिति द्वारा चयन किया गया है? यदि हां, तो कितने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना शेष है? क्या इस समय ग्राम पंचायत अधिकारी के पद रिक्त नहीं हैं? यदि हां, तो कब तक शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

कुल आठ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये हैं। चयनित सूची के पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना शेष है। वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी का कोई पद रिक्त न होने के कारण एवं भविष्य में जब तक उक्त पद उपलब्ध नहीं होते हैं, किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मऊ में स्थित मदरसा अरबिया रिजविया जयाउन उम अदरी के प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच

188—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा अरबिया रिजविया जयाउन उम अदरी जिला मऊ के प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच संबंधी पत्र दिनांक 29-3-90 पत्रांक सी एम/वि0 को0 (एम-1-व/261-395/90 जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रूखाबाद में स्थित राजकीय इण्टर कालेज के श्री प्रेमबाबू अग्रवाल, प्रवक्ता के पेंशन आदि धनराशि का भुगतान

189—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेमबाबू अग्रवाल, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, फर्रूखाबाद ने 30 जून, 1989 को अवकाश ग्रहण किया था? यदि हां, तो क्या उनको सेवा से अवकाश के उपरान्त दी जाने वाली समस्त धनराशि दे दी गयी है तथा उनकी पेंशन स्वीकृत हो गयी है? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? उक्त भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सच्चिदानन्द बाचपेयी—

जी हां।

पेंशन ग्रेच्यूटी तथा राशिकरण के भुगतान आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। सामूहिक जीवनबीमा तथा जी0पी0एफ0 के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष देयों का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद चमोली में जू.हा. स्कूल के भवनों का कार्य पूर्ण होने की समयावधि और बेसिक शिक्षा परिषद को सौंपा जाना

190—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में 7वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 31 मार्च, 1990 तक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कितने जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण कार्य किया गया है? क्या सभी विद्यालय भवनों का निर्माण समयावधि के अन्दर करवा कर उन्हें विधिवत बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंप दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद चमोली में सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को 42 जू0 हा0 स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिनमें 20 भवनों का निर्माण कार्य 31 मार्च 1990 तक पूर्ण करा दिया गया है तथा 6 भवनों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 6 स्कूल भवनों की धनराशि आपत्ति होने के कारण शिक्षा विभाग को वापस कर दी गई। 10 स्कूल भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका। पूर्ण हुए 20 भवनों में से 18 भवन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये हैं तथा शेष दो भवनों के हस्तांतरण हेतु आवश्यक प्रपत्र शिक्षा विभाग को भेजे जा चुके हैं।

जनपद बरेली में त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों को दी जाने वाली अनुदान राशि

191—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में त्रिभाषा

फार्मूले के अन्तर्गत कितने स्कूलों को वर्ष 89-90 में अनुदान दिया गया है और कुल अनुदान राशि कितनी दी गयी है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

6 विद्यालयों को रू0 2,10,394/= का अनुदान दिया गया है।

शहीद इण्टर कालेज मधुबन, जनपद मऊ के प्रधानाचार्य श्री रामदास पाण्डेय द्वारा वेतन आहरित करते समय जमानत पत्र देने की मांग

192—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद इण्टर कालेज, मधुबन, जनपद मऊ के प्रधानाचार्य श्री रामदास पाण्डेय के वेतन भुगतान के लिए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त एवं प्रतिबंध कि "वे हर माह के वेतन के लिए जमानत देते रहेंगे" का इस समय पालन होता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

स्थिति स्पष्ट नहीं है। शिक्षा निदेशक को मामले का परीक्षण करके उचित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद खीरी के उत्तरी व दक्षिणी वन प्रभाग क्षेत्रों में वन भूमि से अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की मांग

193—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जनपद खीरी के उत्तरी वन प्रभाग व दक्षिणी वन प्रभाग के क्षेत्रों में कितनी वन भूमि पर किन-किन लोगों ने अवैध कब्जा कर उक्त वन भूमि को सरकारी कागजात में वर्ग-4 में दर्ज करा रखा है? क्या सरकार उक्त वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका क्या विवरण है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त वन भूमि से अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की कार्यवाही करेगीं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जनपद खीरी के उत्तरी खीरी वन प्रभाग में 3598 व्यक्तियों द्वारा 11595.648 हे0 एवं दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 935 व्यक्तियों द्वारा 2079.020 हे0 वनभूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी विस्तृत सूची वन मंत्री के कक्ष में रख दी गयी है, जिसे मा0 सदस्य अपनी सुविधानुसार देख सकते है। जहाँ तक अतिक्रमित वनभूमि के उस क्षेत्र का सम्बन्ध है, जो सरकारी कागजातों में वर्ग-4 में दर्ज है, जिलाधिकारी, खीरी द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कराने एवं विवरण संकलित कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध कब्जेदारों से अतिक्रमण खाली कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद आजमगढ़ स्थित उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों को गिरफ्तारी अवधि का वेतन दिये जाने की मांग

194—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के कितने शिक्षक 27 जुलाई, 84 से 3 सितम्बर, 84 के मध्य जनपदीय कारागार आजमगढ़ में शान्ति भंग की आशंका में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर बन्द किये गये थे? क्या इन अध्यापकों को इस अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? और इन्हें वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

शांति भंग की आशंका में 71 शिक्षक कारागार में बन्द किये गये थे। इनमें से चार शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया है। शेष शिक्षकों के संबंध में प्रकरण का पूर्व परीक्षण करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।

राजकीय महाविद्यालय जविखनी वाराणसी के विरूद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

195—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें डा0 हरिकृष्ण पाण्डेय विभागाध्यक्ष, (कृषि) राजकीय महाविद्यालय जविखनी, वाराणसी के विरूद्ध 1988 की विश्वविद्यालय परीक्षा के समय प्रति छात्र रूपया 75 की धनराशि अवैध ढंग से वसूल करने तथा उनके अन्य क्रियाकलापों की शिकायत, विषयक प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 9-6-89 जो महामहिम राज्यपाल, महोदय को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्ति के ही विरूद्ध प्रेषित दिनांक 2 मार्च, 1989 ई0 के पत्र जिसकी प्राप्ति की सूचना प्रश्नकर्ता को उनके पत्रांक 1128/एम/89,, दिनांक 8-3-89 तथा प्रवीण चन्द्र शर्मा, शिक्षा सचिव के पत्रांक-1012/वी0 ई0 पी0/पी0 35/89, दिनांक 10 मार्च, 1989 द्वारा दी गयी थी के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

शिकायत की जांच कराई गयी और जांच आख्या पर परीक्षण किया जा रहा है। जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में स्थित राजकीय हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग

196—श्री रणजीत सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के राजकीय

इण्टर कालेज, दुधली रानी पोखरी, थानौं, माजरी ग्रांट, गुजराड़ा एवं राजकीय हाईस्कूल जौलीग्रांट, छिदरवाला एवं रायवाला में शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार पर्याप्त अध्यापक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो किस-किस संवर्ग में कितने अध्यापक कम हैं? क्या मंत्री जी आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व रिक्त स्थानों की पूर्ति करायेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

एल0 टी0 संवर्ग में 2 पद तथा सी0टी0 संवर्ग में केवल 5 पद कम स्वीकृत हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मथुरा के खारे पानी वाले क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुओं के निर्माण की मांग

197—श्री किशोरी श्याम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मथुरा में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संस्थान द्वारा खारे पानी के क्षेत्रों की जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो जनपद मथुरा में जांच का कार्य किन-किन क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दिया गया है, एवं सर्वे के क्या परिणाम प्राप्त हुए? क्या सर्वे करके खारे पानी के क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुओं का निर्माण किया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

जनपद में प्रारम्भिक जांच की गई हैं। प्रारंभिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि मथुरा जनपद के विकास खण्ड-गोवर्धन एवं मथुरा क्षेत्र का जल अत्याधिक लवणीय है। अन्य विकास खण्डों में भी खारे पानी की समस्या विद्यमान है।

विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत ही खारे पानी के क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुओं के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लेना संभव होगा। विस्तृत सर्वेक्षण के लिये एक योजना बना कर भारत सरकार को भेजी गई है।

(नियम 40 के अंतर्गत मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित प्रश्न)

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में दो पाली लागू करने की मांग

×14—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलायी गयी विशिष्ट शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करके संविधान सम्मत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध स्कूलों में दो पाली चलाकर लागू करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यावहारिक नहीं है।

कतिपय सदस्यों को विधान भवन में प्रवेश करने से रोके जाने तथा विधान भवन गेट बन्द कर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-। के पुकारे जाने पर विपक्ष की ओर से कांग्रेस के श्री सुरेन्द विक्रम सिंह सदस्यों को गेट पर रोकने एवं गेट बन्द करने के संबंध में कहने लगे एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अत्यंत व्यवधान के मध्य नारे लगाने लगे जिससे और किसी माननीय सदस्य की कोई बात समझ में नही आई।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया अपनी-अपनी बात प्रश्न काल के बाद कहें।

(घोर व्यवधान होने पर)

मैं सदन को 12.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। हम 12.30 बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)

इस समय 11 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन को 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दिया।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक साथ खड़े होकर किसानों के दमन के विरोध में बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके बैठ जायें।

(भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्यों के खड़े रहने व सभी के एक साथ बोलने के कारण सदन में अत्याधिक शोर रहा। जिसके कारण किसी भी सदस्य की कोई बात सुनाई नही दी।)

(श्री उमाध्यक्ष द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना" का नाम पुकारे जाने पर लगातार शोर के मध्य श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना" इस सरकार के किसान विरोधी होने तथा किसानों का दमन करने के संबंध में कहने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा नियम-311 के अंतर्गत श्री कल्यान सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर अत्यधिक शोर होता रहा)

नियम 311 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम-311 के अंतर्गत सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है। (कांग्रेस

तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहे और नारे लगाते रहे इसी घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जुलाई, 1990 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के अनुमोदित कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(क) सदन में दिनांक 16 जुलाई, 1990 से 25 जुलाई, 1990 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:—

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया)

(जुलाई, 1990

16 सोमवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँगों पर विचार एवम् मतदान।

(2) प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा।

17 मंगलवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवम् मतदान।

(2) प्रदेश में खाद्य तेलों, नमक एवम् मिट्टी के तेल तथा भवन निर्माण की सामग्री जैसे ईंट, लोहा, सीमेन्ट आदि के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पंचानन राय, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा।

18 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवम् मतदान।

(2) विधायी कार्य।

उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवम् उसका पारण-आधा घंटा।

19 गुरूवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवम् मतदान।

(2) प्रदेश में नील गायों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट किये जाने से

नोट- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पंचानन राय, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा।

20 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवम् मतदान।

(2) प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों एवम् निगमों को निरन्तर घाटे के कारण बन्द करने अथवा निजी क्षेत्रों में सौंपे जाने संबंधी शासन के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधानसभा द्वारा नियम-52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा।

21 शनिवार
22 रविवार | बैठक नहीं होगी।

23 सोमवार

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवम् मतदान।

24 मंगलवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवम् मतदान।

(2) प्रदेश में मेडिकल कालेजों व चिकित्सालयों के गिरते स्तर पर छात्रों के प्रशिक्षण में ह्रास तथा उनके उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 दिनेश जौहरी, सदस्य विधान सभा, द्वारा नियम-52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा।

25 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवम् मतदान (अंतिम दिन)।

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवम् उसका पारण।

(3) प्रदेश के जनपद वाराणसी स्थित महामना मदन मोहन मालवीय के आवास को बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री यशवंत सिंह, दीपचन्द्र सोनकर, यदुनाथ सिंह, श्याम सुन्दर शर्मा, तथा वीरेन्द्र सिंह, सदस्यगण विधान सभा की सूचना पर चर्चा-एक घंटा।

(ख) वर्तमान सत्र में सदन के उपवेशन दिनांक 25 जुलाई, 1990 तक ही रखे जायं और दिनांक 26 तथा 27 जुलाई, 1990 के उपवेशन न रखे जायं।)

नोट- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सदन में लगातार शोर व घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या 25-(गन्ना) विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा की आज दिनांक 16 जुलाई, 1990 की कार्यसूची की मद संख्या-8 की उप-मदें (1) और (2) में उल्लिखित अनुदान जिनका अलग-अलग विवरण निम्नलिखित है—

(1) 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,67,62,000 रूपये से अनधिक धनराशि,

(2) 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,17,53,000 रूपये से अनधिक धनराशि की जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गई हैं, उनमें क्रमशः अंकित लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनरशियों के अतिरिक्त धनराशियाँ, जिनका कुल योग 99 करोड़, 85 लाख, 15 हजार रूपये हैं, से अनधिक धनराशियाँ स्वीकृत की जायं।

(लगातार शोर व घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहेंगे?

(कोई सदस्य कटौती के प्रस्ताव हेतु नहीं खड़ा हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये। कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये व कुछ सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे।)

(लगातार शोर व घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा की आज दिनांक 16 जुलाई, 1990 की कार्यसूची की मद संख्या [illegible] की उप मदें (1) और (2) में उल्लिखित अनुदान संख्या-24 तथा 25 के [illegible] 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिए जो मांगे सदन के पटल पर रख दी गई हैं, उनमें क्रमशः अंकित लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियाँ, जिनका कुल योग 99 करोड, 85 लाख, 15 हजार रुपये है, से अधिक धनराशियाँ स्वीकृत की जायं?

(प्रश्न [illegible] किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सदन में अत्यधिक व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, [illegible] 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद [illegible] 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
16, जुलाई, 1990

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये ता0प्र0सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

सूची

गत तीन वर्षों में पुस्तक चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे हैं:—

(1)	शिक्षा सचिव	–अध्यक्ष
(2)	विशेष सचिव, शिक्षा विभाग	–सदस्य
(3)	श्री हरिकृष्ण अवस्थी, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय	–सदस्य
(4)	निदेशक, साक्षरता निकेतन, लखनऊ	–सदस्य
(5)	अध्यक्ष, फखरूद्दीन अली अहमद उर्दू समिति	–सदस्य
(6)	डा0 नजीर मोहम्मद, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग अलीगढ़ विश्वविद्यालय	–सदस्य
(7)	श्री प्रताप नारायण टण्डन, रीडर हिन्दी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय	–सदस्य
(8)	डा0 कचंन लता सब्बरवाल, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य महिला डिग्री कालेज	–सदस्य
(9)	श्री के0 सी0 जोशी, सेवानिवृत्त आई.ए.एस.	–सदस्य
(10)	श्री भगवती शरण सिंह, सेवा निवृत्त आई.ए.एस. (इनकी मृत्यु हो चुकी है)	†सदस्य
(11)	श्री एम0 कोठियावी राही, सम्पादक, इश्तराक, गोरखपुर	–सदस्य
(12)	श्री इश्त्याक हुसैन, साईन्टिस्ट सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट	–सदस्य
(13)	विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय) शिक्षा विभाग	–सदस्य–संयोजक

वर्ष 1989–90 में पुस्तक क्रय के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति भी गठित की गई थी:—

(1)	डा0 एल0 पी0 पान्डेय, निदेशक बेसिक शिक्षा	–अध्यक्ष
(2)	श्री बी0 पी0 खण्डेलवाल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–सदस्य
(3)	श्री हरि प्रसाद पान्डेय, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्	–सदस्य
(4)	श्री शारादन्दु, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग	–सदस्य
(5)	श्री आर0 के0 मेहरोत्रा, विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय) शिक्षा विभाग	–सदस्य–संयोजक

राजा राममोहन राय लाईब्रेरी फाउन्डेशन परियोजना के अन्तर्गत पुस्तक चयन का कार्य राज्य पुस्तकालय नियोजन समिति द्वारा किया जाता है। गत तीन वर्षों में इस समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे हैं:—

(1)	शिक्षा सचिव	–अध्यक्ष
(2)	विशेष सचिव, शिक्षा विभाग	–सदस्य
(3)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–सदस्य
(4)	निदेशक, साक्षरता निकेतन, लखनऊ	–सदस्य

(5) अध्यक्ष, फखरूद्दीन अली अहमद उर्दू समिति —सदस्य
(6) निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय संस्थान —सदस्य
(7) प्रो0 पी0 एन0 कौला, अध्यक्ष पुस्तकालय विज्ञान विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी —सदस्य
(8) श्री सी.डी. शर्मा, सेवा निवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय —सदस्य
(9) पुस्तकालयाध्यक्ष राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय इलाहाबाद —सदस्य
(10) विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय) शिक्षा विभाग। —सदस्य-संयोजक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

बैठक की तिथि	विद्यालय	धनराशि
9-7-1988	1- जू0 हा0 स्कूल महुआ	10,000/-
	2- प्राइमरी पाठशाला तिदवारी	9,000/-
	3- प्राइमरी पाठशाला निम्नीपार	6,000/-
	4- कन्या जू0 हाईस्कूल अतरौ	6,000/-
	5- जू0 हाईस्कूल गौरी कला	6,000/-
	6- प्राइमरी पाठशाला अतरौ	5,000/-
	7- प्राइमरी पाठशाला अलीगंज	5,000/-
	8- प्राइमरी पाठशाला जसपुरा	5,000/-
	9- प्राइमरी पाठशाला मुरागढ़	2,500/-
	10- जू0 हाईस्कूल औगासी	3,000/-
	11- प्राइमरी पाठशाला सीतापुर	30,000/-
17-10-89	12- प्राइमरी पाठशाला जसपुरा	5,000/-
	13- प्राइमरी पाठशाला बाबूपुर	5,000/-
	14- प्राइमरी पाठशाला रानीपुर	5,000/-
	15- कन्या प्राइमरी पाठशाला अलीगंज	10,000/-
	16- जू0 हा0 स्कूल छिउलहा	3,000/-
	17- प्राइमरी पाठशाला तेंदुरा	5,000/-
	18- कन्या जू0हा0 स्कूल तिंदवारा	5,000/-
	19- प्राइमरी पाठशाला सिद्धपुर	10,000/-
16-3-90	20- प्राइमरी पाठशाला बरियारी	10,000/-
	21- प्राइमरी पाठशाला मैदाना	10,000/-
	22- प्राइमरी पाठशाला कन्धवनियां	10,000/-
	23- प्राइमरी पाठशाला चकवां	10,000/-
	24- प्राइमरी पाठशाला बनाड़ी	10,000/-
	25- जूनियर हाईस्कूल अलिहा	10,000/-

(नत्थी "ग")

(देखिये अता0प्र0सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

241. मामलों में दिये गए मुआवजे का विवरण

अ–मवेशी मारे जाने के मामले

मवेशियों के मामले जिनमें मुआवजा दिया गया		प्रत्येक मामले में दिया गया मुआवजा (रूपया)		मुआवजा भुगतान की कुल धनराशि (रूपया)
1	मामला	5,600.00	प्रत्येक मामला	5,600.00
57	मामले	750.00	——"——	42,750.00
25	"	1,000.00	——"——	25,000.00
2	"	100.00	——"——	200,00
10	"	1,500.00	——"——	15,000.00
68	"	500.00	——"——	34,000.00
2	"	1,200.00	——"——	2,400.00
2	"	2,100.00	——"——	4,200.00
1	मामला	1,100.00	——"——	1,100.00
1	"	900.00	——"——	900.00
3	मामले	800.00	——"——	2,400.00
1	मामला	850.00	——"——	850.00
2	मामले	700.00	——"——	1,400.00
4	"	1,250.00	——"——	5,000.00
1	मामला	550.00	——"——	550.00
2	मामले	300.00	——"——	600.00
1	मामला	400.00	——"——	400.00
2	मामले	350.00	——"——	700.00
2	"	1,800.00	——"——	3,600.00
4	"	600.00	——"——	2,400.00
1	मामला	1,400.00	——"——	1,400.00
1	"	200.00	——"——	200.00
योग 193	मामले			1,50,650.00

ब– मनुष्यों को मारे जाने तथा घायल किए जाने के मामले

हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मारे/घायल किए गए मनुष्यों के मामले जिनमें अनुग्रह आर्थिक सहायता दी गई।		प्रत्येक मामले में दी गई अनुग्रह आर्थिक सहायता की धनराशि (रूपया)	अनुग्रह आर्थिक सहायता भुगतान की कुल धनराशि (रूपया)
6	वयस्क मृतकों के मामले	10,000.00 प्रत्येक मामला	60,000.00
7	अवयस्क मृतकों के मामले	5,000.00 ——"——	35,000.00
1	घायल का मामला	2,000.00 ——"——	2,000.00
35	घायलों के मामले	1,000.00 ——"——	33,000.00
1	घायल का मामला	500.00 ——"——	500.00
योग:			
48	मामले		1,30,500.00
		कुल योग:	2,81,150.00

(नत्थी-घ)

(देखिये अता0प्र0सं0 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

विकास खण्ड बिलरियागंज द्वारा निर्मित सोलिंग कार्य की सूची

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	सोलिंग	निर्माण का वर्ष	निर्मित लम्बाई खड़ंजा
1-	पी.डब्लू.डी. रोड से नसीरपुर तक	"	82-83	200 मी.
2-	कुवां देवचन्द पट्टी सम्पर्क मार्ग	"	"	270 मी.
3-	आर.ई.एम. रोड से छिहीं गांव तक	"	83-84	100 मी.
4-	दोजी धौरहरा सम्पर्क मार्ग	"	"	500 मी.
5-	पाण्डेय पोखर से हरिजन बस्ती तक	"	"	1500 मी.
6-	छिहीं से छिछोरी	"	84-85	500 मी.
7-	पी.डब्लू.डी. रोड से छिहीं हरिजन बस्ती तक।	"	"	1500 मी.
8-	जलालपुर हरिजन बस्ती से सम्पर्क मार्ग तक।	"	"	350 मी.
9-	अकबरपुर सम्पर्क मार्ग	"	"	570 मी.
10-	छिही छिछोरी के मार्ग से विस्मिला के घर तक।	"	"	800 मी.
11-	छिछोरी से छिहीं तक	"	"	500 मी.
12-	लंगड़पुर सम्पर्क मार्ग	"	85-86	200 मी.
13-	रामानुज सम्पर्क मार्ग	"	"	1500 मी.
14-	बीबीपुर सम्पर्क मार्ग	"	"	500 मी.
15-	पक्की सड़क से मीपरहा	"	87-88	500 मी.
16-	पी.डब्लू.डीं. रोड से नसीरपुर हरिजन बस्ती तक।	"	"	400 मी.
17-	भीमवर रौनापार रोड से जमीन रसूलपुर।	"	"	400 मी.
18-	पी.डब्लू.डी. रोड से खानपुर भगत पट्टी।	"	"	700 मी.
19-	गुलबा सम्पर्क मार्ग	"	88-89	300 मी.
20-	नहर से ऊंचाडीह सलेमपुर से बरौली चौबेपुर तक।	"	"	1500 मी.
21-	नहर से चरोबा	"	"	200 मी.
22-	सड़क से कोटिया	"	"	200 मी.
23-	सड़क से जलालपुर इन्दुमती के मकान तक	"	"	50 मी.
24-	श्रीनगर गुलउर मार्ग से लगड़पुर	"	"	200 मी.
25-	जिगिना गांव में	"	"	200 मी.
26-	पक्की सड़क से दोजी पोरहरा गांव तक	"	"	150 मी.

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	सोलिंग	निर्माण का वर्ष	निर्मित लम्बाई खड़ंजा
27–	ब्लाक परिसर	"	"	620 मी.
28–	लिंक रोड जगहा बनकट पी.डब्लू.डी. मार्ग से जलालुद्दीन पट्टी नसबंदी प्रा.।	"	89–90	235 मी.
29–	पी.डब्लू.डी. रोड से इन्द्रासनी के मकान तक।	"	89–90	245 मी.
30–	ग्राम सभा हरखूपुर से हरखूपुर	"	"	172 मी.
31–	ग्राम सभा अलाउद्दीन पट्टी सम्पर्क मार्ग पर।	"	"	118 मी.
		योग–		14–030

विधान सभा

(नत्थी-ड.)

देखिये अता0प्र0सं0 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

विकास खण्ड बिलरियागंज द्वारा निर्मित कच्चे मार्ग की सूची

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	निर्माण का वर्ष	निर्मित लम्बाई
1-	सम्पर्क मार्ग सादी पट्टी	83-84	500 मी.
2-	पी.डब्लू.डी. रोड से नाथ पट्टी	"	500 मी.
3-	पी.डब्लू.डी. रोड से विजयापार	"	300 मी.
4-	नुरूद्धीनपुर से केशोपुर	"	200 मी.
5-	सम्पर्क मार्ग बडिहारी	"	200 मी.
6-	खानपुर भगतपट्टी से पी.डब्लू.डी. रोड तक	84-85	1500 मी.
7-	पी.डब्लू.डी. रोड से ठाकुरपुरवा से विजरवा तक।	86-87	400 मी.
8-	पी.डब्लू.डी. रोड से जैराजपुर	"	250 मी.
9-	पी.डब्लू.डी. रोड से ठाकुर पुरवा होते हुए विजरवा तक।	87-88	180 मी.
10-	फैजाबाद रोड होते हुए मिरिया से कड़वा तक	"	1000 मी.
11-	सोडारी धरसन से खरगपुर	"	1000 मी.
12-	कन्धारापुर जैराजपुर से बर्जी गांव तक	"	1150 मी.
13-	पक्की सड़क अकबरपुर से देवरिया तक	"	1850 मी.
14-	शारदा सहायक नहर से भगवानपुर	"	630 मी.
15-	जैगहा जयराजपुर रोड से जयराजपुर गांव तक	"	580 मी.
16-	भावा रायपुर मुस्लिम बस्ती से कटखौली तक	"	970 मी.
17-	श्रीनगर देवड़ा दमोदर पुर से कन्धरापुर सड़क से औतीपहलवानपुर।	88-89	780 मी.
18-	भावापुर जिला परिषद रोड से दसवतपुर हरिजन बस्ती।	"	1200 मी.
19-	जैगहा जैराजपुर से रामपुर होते हुए तोहपापुर	"	535 मी.
20-	खालिसपुर से केशोपुर तक	"	700 मी.
21-	विन्दवल से देवाविन्दवल तक	"	430 मी.
22-	मोहिद्दीनपुर हरिजन बस्ती से साधू की कुटीया यादव बस्ती तक।	"	1200 मी.
23-	नत्थू पट्टी से नेवादा गांव तक	"	400 मी.
24-	शारदा सहायक नहर से मसीरपुर	"	200 मी.
25-	हरखपुर से पाडेखर्द तक	"	400 मी.
26-	शारदा सहायक नहर से पारागांव तक	"	300 मी.
27-	भीमवर बाजार गोसाईं रोड से ओरा तक	"	300 मी.

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	निर्माण का वर्ष	निर्मित लम्बाई
28–	जैगहा बनकट मार्ग से जलालुद्दीन पट्टी	"	300 मी.
29–	मेन सड़क से चालाकपुर भगेलसिंह के मकान तक	"	300 मी.
30–	पी.डब्लू.डी. रोड से पातीखुर्द नसबन्दी प्रोत्साहन।	89–90	800 मी.
31–	जल्लपूर पकवा इनार से राघवपुर यादव बस्ती।	"	450 मी.
32–	मानपुर से चांदपुर तक	"	1060 मी.
33–	चांदपट्टी करखीया पक्की सड़क से हरिजन बस्ती चालाकपुर।	"	600 मी.
34–	गांव सभा दुबरहन से गांव तक	"	760 मी.
35–	गांव सभा पहलवानपुर	"	230 मी.
36–	ग्राम सभा हरखपुर से हरखपुर	"	500 मी.
37–	ग्राम सभा अलाउद्दीन पट्टी	"	300 मी.
			योग 22.955

(नत्थी-च)

(देखिये अता0प्र0सं0 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पार्चवें सोमवार हेतु निर्धारित श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या: 53 के उत्तर का संलग्नक ।

——0——

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में मार्च, 1984 से नवम्बर, 1989 तक निर्मित नई सड़कों की सूची:-

क्रमांक	मार्ग का नाम
1-	नदीहा-मद्दूपुर से नदीहा बुजुर्ग
2-	मकनपुर से बिसधन रसूलाबाद
3-	नानामऊ-बिल्हौर ककवन रसूलाबाद मार्ग से गदनपुर चुरसा
4-	ककवन से कसिगवां अन्ता मार्ग
5-	बिल्हौर-मकनपुर से दिवेहा
6-	मकनपुर-बिसधन-रसूलाबाद से शौगॉव
7-	एन0बी0के0आर0 से बेड़ी अलीपुर
8-	एन0बी0के0आर0 से फत्तेपुर
9-	एन0बी0के0आर0 से सुनासी
10-	पूरा नदीहा मद्दूपुर कुर्सी गॉव
11-	खखुरी साम्भी मार्ग से जी0टी0 मार्ग
12-	डुडवा जमौली से रानेपुर
13-	अलियापुर से खरपतपुर सिहुरा दाराशिकोह
14-	एन0बी0के0आर0 से विरहुन
15-	अलियापुर-खरपतपुर से उदठा
16-	गॉगूपुर पिहानी मजबूतनगर
17-	बिल्हौर मकनपुर से रहीमपुर करीमपुर
18-	रसूलाबाद से विसधन (किमी0-1 से 3)
19-	नदीहा मद्दूपुर पर लघु सेतु का पहुँच मार्ग
20-	मकनपुर तिवाठिया का शेषभाग
21-	मकनपुर-विसधन-रसूलाबाद से नैला कटरा
22-	मकनपुर-विसधन-रसूलाबाद से नौहा नौगॉव
23-	अरौल-मकनपुर मार्ग पर ईसन नदी का पहुँच मार्ग
24-	पाण्डु नदी पर सेतु का पहुँच मार्ग(मकनपुर-रसूलाबाद मार्ग पर)
25-	नानामऊ घाट का पहुँच मार्ग (कानपुर साइड)
26-	औरैंताहरपुर सम्पर्क मार्ग का शेष भाग
27-	अरौल मकनपुर से गूँजिपुर मार्ग
28-	जी0टी0 मार्ग से नसीरापुर
29-	जी0टी0 मार्ग से डुडवा जमौली
30-	अलियापुर खरपतपुर से दलेलपुर
31-	खाड़ामऊ पिहानी मार्ग

(नत्थी-ठ)

(देखिये अता0प्र0सं0 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

जनपद बलिया में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में विकास खण्डवार व्यय की गई धनराशि का विवरण

क्रमांक	विकास खण्डों का नाम	1988-89		1989-90		1989-90
		आई0 आर0 डी0पी0	एन0 आर0 ई0 पी0	आर0एल0ई0जी पी0	आई0आर0डी0 पी0	जे0 आर0 पी
1-	चिलकहर	10.27	13.390	2.335	16.09	70.110
2-	गड़वार	11.69	24.330	1.715	11.01	66.151
3-	सीयर	10.13	9.235	6.273	19.56	75.260
4-	बांसडीह	12.49	7.346	1.790	15.24	55.572
5-	रेवती	12.80	8.512	1.716	19.60	64.213
6-	पन्दह	12.88	11.460	1.403	16.00	65.347
7-	मनियर	15.48	8.592	1.090	11.79	61.606
8-	रसड़ा	10.64	6.478	1.832	13.25	61.123
9-	नगरा	10.98	14.494	4.376	17.46	76.303
10-	हनुमानगंज	10.32	5.684	1.150	14.95	56.070
11-	बैरिया	14.48	4.757	1.247	16.60	57.750
12-	नवानगर	11.64	5.412	2.026	20.25	60.798
13-	बेलहरी	10.73	3.643	3.608	8.24	56.705
14-	मुरली छपरा	12.14	5.901	1.247	16.04	57.887
15-	बैरूआरवारी	13.78	7.030	0.779	10.95	47.431
16-	सोहांव	16.62	7.899	5.249	12.79	58.700
17-	दुबहड़	13.78	6.785	2.982	22.56	58.338
	योग	210.85	150.948	40.818	262.38	1049.274

(नत्थी-ज)

(देखिये अता0प्र0सं0 150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-150 का अनुलग्नक

क्र.सं.	टाइपराइटर जहां संस्थापित की गई है	क्रय की तिथि	फर्म का नाम जहां से टाइपराइटर खरीदा गया	माडल नम्बर	मात्रा	कीमत
1-	मा0 मंत्री जी कैम्प कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	7.4.89	इन्डियन कम्पनीकेशन नेटवर्क लिमिटेड, लखनऊ।	2388 एच	एक	38,958.00
2-	मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, जनपथ हजरतगंज, लखनऊ कैम्प कार्यालय।	7.4.89	-तदैव -	2388 एच	एक	38,958.00
3-	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ कैम्प कार्यालय।	20.3.86	- तदैव -	332 मोट	एक	40,787.30
4-	महाप्रबन्धक (वाणिज्य) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लखनऊ, कैम्प कार्यालय।	30.1.88	- तदैव -	561 एच	एक	37,880.00
5-	कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ कैम्प कार्यालय।	29.6.88	- तदैव -	561 एच	एक	37,880.00
6-	वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखननऊ कैम्प कार्यालय।	20.3.86	- तदैव -	332 मोट	एक	40,787.30
7-	परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, एल0एम0यू0, लखनऊ।	19.9.89	गोदरेज एंड ब्वायज मैनी फैक्चरिंग कम्पनी हजरतगंज, लखनऊ।	14 डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक अंग्रेजी टाइपराइटर	एक	18,279.91